

My Notes.....

राष्ट्रीय

नीति आयोग ने जारी की 'पंचवर्षीय' रणनीति

योजना आयोग की पंचवर्षीय योजनाओं की तर्ज पर नीति आयोग ने देश के विकास के लिए 'पंचवर्षीय' रणनीति बनायी है। आयोग ने इस रणनीति के तहत अगले पांच साल में सालाना औसतन आठ फीसदी विकास दर हासिल कर 2022-23 तक देश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर चार ट्रिलियन डालर करने का लक्ष्य रखा है। इसमें कहा गया है कि पर्याप्त नौकरियां सृजित करने और सबकी समृद्धि के लिए सालाना 9 प्रतिशत विकास दर जरूरी है। 'स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75' शीर्षक से जारी किए गए इस दस्तावेज में नीति आयोग ने 41 सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों को अलग-अलग अध्यायों के रूप में चार खंडों में विभाजित कर विकास की रणनीति सुझायी गयी है। आयोग ने यह दस्तावेज केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से परामर्श के आधार पर तैयार किया है।

क्या है

1. आयोग ने इस दस्तावेज में 2018 से 2023 के दौरान सालाना औसतन आठ प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य तय किया है। आयोग का कहना है कि इस विकास दर की बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था 2017-18 में 2.7 ट्रिलियन (2.7 लाख करोड़) डालर से बढ़कर 2022-23 में चार ट्रिलियन डालर की हो जाएगी।
2. आयोग के मुताबिक वर्ष 2017-18 में देश की प्रति व्यक्ति आय 1900 डालर है जो 2022-23 में बढ़कर 3000 डालर हो जाएगी। साथ ही 2022-23 तक 9-10 प्रतिशत विकास दर का आंकड़ा छूने का इरादा भी इस दस्तावेज में व्यक्त किया गया है।
3. नीति आयोग का कहना है कि पर्याप्त नौकरियां और सबके लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सालाना 9 फीसदी आर्थिक वृद्धि दर की जरूरत है।
4. विकास दर का यह स्तर हासिल करने के लिए इसमें चार सूत्रीय रणनीति सुझायी गयी है जिसके तहत अर्थव्यवस्था में निवेश की दर मौजूदा 29 प्रतिशत से बढ़ाकर 2022 तक 36 प्रतिशत करने की जरूरत बतायी गयी है।
5. कृषि क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को जोरदार तरीके से बढ़ावा देने, कृषि उत्पादन विपणन कमेटी एक्ट की जगह कृषि उत्पादन और जीवंत स्टॉक विपणन एक्ट बनाने, राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम को विस्तार देने तथा किसानों को कृषि उद्यमी बनाने की जरूरत पर बल दिया गया है।
6. साथ ही रोजगार को बढ़ावा देने के लिए श्रम संहिता बनाने की सिफारिश भी इस रणनीति में की गयी है। इसके अलावा श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाकर 2022-23 तक 30 प्रतिशत करने लक्ष्य भी आयोग ने इसमें रखा है।
7. आयोग का यह लक्ष्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्त वर्ष 2017-18 में देश की विकास दर 6.7 प्रतिशत थी। इसलिए विकास दर को बढ़ाने के लिए सरकार को कई कदम उठाने होंगे।
8. नीति आयोग ने पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा बनाई जाने वाली पंचवर्षीय योजनाओं की जगह तीन वर्षीय एक्शन प्लान, सात वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय दीर्घावधि दस्तावेज तैयार करने की घोषणा की थी। हालांकि लंबे इंतजार के बाद आयोग ने अब यह 'पंचवर्षीय' रणनीति दस्तावेज जारी किया है।

अन्य सुझाव

1. आयोग ने यह सुझाव 'स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75' शीर्षक से जारी किए रणनीति दस्तावेज में दिया है। इसमें कहा गया है कि तेल, प्राकृतिक गैस, बिजली और कोयला को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है ताकि इन क्षेत्रों में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा मिल सके।

2. इसके अलावा आयोग ने सभी तरह की ऊर्जा पर जीएसटी की दर समान रखने की सिफारिश की है। आयोग ने स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर को प्रोत्साहित करने की रणनीति भी सुझायी है।
3. नीति आयोग ने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का यह सुझाव ऐसे समय दिया है जब 22 दिसम्बर को जीएसटी काउंसिल की 30वीं बैठक होने जा रही है।
4. जीएसटी काउंसिल ही यह तय कर सकती है कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए या नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली इस काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री बतौर सदस्य शामिल हैं।
5. ऐसे में पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने का आयोग का सुझाव काफी महत्वपूर्ण है। आयोग ने विमानन ईंधन एटीएफ को भी जीएसटी के दायरे में लाने का सुझाव दिया है।
6. उल्लेखनीय है कि पेट्रोल, डीजल और एटीएफ सहित पांच पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। हाल के महीनों में पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ने के चलते अलग अलग वर्गों की ओर से इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की गयी है।

2022-23 तक हासिल करने हैं ये लक्ष्य

1. सालाना 8 प्रतिशत विकास दर
2. चार ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था
3. श्रम बल में महिलाओं की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी
4. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर शीर्ष 50 देशों में भारत को पहुंचाना
5. उत्पादन क्षेत्र की विकास दर दोगुनी करना
6. किसानों की आय दोगुनी करना
7. सबको आवास
8. तेल और गैस के आयात में 10 प्रतिशत की कमी करना
9. ब्रॉड गेज का शत प्रतिशत विद्युतीकरण
10. कक्षा दस तक शत प्रतिशत नामांकन और जीरो ड्रॉपआउट।

एसडीजी भारत सूची-2018 जारी

नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य भारत सूची 2018 जारी की। यह सूची 2030 एसडीजी लक्ष्यों को लागू करने में भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रगति दर्शाती है। एसडीजी भारत सूची को सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और संयुक्त राष्ट्र (भारत) के सहयोग से तैयार किया है। इस सूची को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य डॉ. रमेश चन्द्र, डॉ. वी.के.पॉल व डॉ. वी.के.सारस्वत, आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत, संयुक्त राष्ट्र संयोजक श्री यूरी अफानासिव और सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव तथा सीएसआई श्री प्रवीन श्रीवास्तव ने लांच किया।

क्या है

1. नीति आयोग दोहरी जिम्मेदारी निभाता है। आयोग को एक तरफ देश में सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी है तो दूसरी तरफ राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक और सहयोगी संघवाद को प्रोत्साहित करने की भी जिम्मेदारी है।
2. सतत विकास लक्ष्य भारत सूची इन दोनों जिम्मेदारियों के बीच एक सेतु का काम करती है। सतत विकास लक्ष्य को प्रधानमंत्री के “सबका साथ-सबका विकास” कार्यक्रम से भी जोड़कर देखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में वैश्विक सतत विकास लक्ष्य के पांच पी को शामिल किया गया है - पृथ्वी (प्लेनेट), समृद्धि (प्रोस्पेरिटी), लोग (पीपल), साझेदारी (पार्टनरशिप) और शांति (पीस)।
3. विश्व अभी सतत विकास लक्ष्य युग के तीसरे वर्ष में है। सतत विकास लक्ष्य महत्वाकांक्षी वैश्विक विकास लक्ष्य है जो सार्वभौमिक जन कल्याण से संबंधित है। ये लक्ष्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि वाले लोगों से संबंधित है तथा इनमें विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को शामिल किया गया है।

4. भारत का राष्ट्रीय विकास एजेंडे की झलक सतत विकास लक्ष्य में दिखाई पड़ती है। सतत विकास लक्ष्य के क्षेत्र में भारत की प्रगति संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में विश्व की 17 प्रतिशत आबादी निवास करती है।
5. सतत विकास लक्ष्य भारत सूची 62 प्राथमिक संकेतकों पर आधारित है। इन संकेतकों का चयन नीति आयोग ने किया है। इस सूची में 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 13 के आंकड़ों को शामिल किया गया है।
6. सतत विकास लक्ष्य 12, 13 और 14 का मापन संभव नहीं हो सका क्योंकि इनसे संबंधित आंकड़े राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सके थे। सतत विकास लक्ष्य 17 पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है।
7. कुल 13 सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0-100 के पैमाने पर मापा गया है। यह राज्यों के औसत प्रदर्शन को दिखाता है।
8. यदि किसी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ने 100 प्रदर्शित किया है तो इसका अर्थ है कि राज्य ने 2030 के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल कर लिया है।

सतत विकास लक्ष्य भारत सूची के वर्गीकरण का आधार

1. आकांक्षी : 0 - 49
2. अच्छा प्रदर्शन : 50 - 64
3. अग्रणी : 65 - 99
4. लक्ष्य प्राप्तकर्ता : 100

संपूर्ण	आकांक्षी	असम, बिहार और उत्तर प्रदेश
	अच्छा प्रदर्शन	आंध्र प्रदेश , अरुणाचल प्रदेश , छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली और लक्षद्वीप
	अग्रणी	हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और पुदुच्चेरी
	लक्ष्य प्राप्तकर्ता	कोई नहीं

1. सतत विकास लक्ष्य भारत सूची इंटरएक्टिव डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। नीति आयोग का यह निरंतर प्रयास है कि वह साक्ष्य आधारित नीति निर्माण करें और राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों को विकास में समर्थन प्रदान करें।
2. इसके लिए यह आयोग प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करता है और सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करता है।

निष्कर्ष:

विवरण	राज्य	केन्द्रशासित प्रदेश
एसडीजी भारत सूची अंक आधार	42-69	57-68
बेहतर प्रदर्शन करने वाले	हिमाचल प्रदेश और केरल	चंडीगढ़
आकांक्षी	उत्तर प्रदेश	दादर और नागर हवेली

1. स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता उपलब्ध कराने में, असमानता कम करने में और पर्वतीय पारिस्थितिकी को संरक्षित करने में हिमाचल प्रदेश ने उच्च स्थान प्राप्त किया है।
2. अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने में, भूखमरी कम करने में, लैंगिक समानता हासिल करने में तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में केरल ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।
3. स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता उपलब्ध कराने में, किफायती व स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने में, आर्थिक विकास करने में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में चंडीगढ़ ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।

आकांक्षी जिलों की दूसरी डेटा रैंकिंग जारी

नीति आयोग ने 27 दिसम्बर 2018 को आकांक्षी जिलों के लिए दूसरी डेटा रैंकिंग जारी की जिसके तहत 1 जून, 2018 से लेकर 31 अक्टूबर, 2018 के बीच स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और मूल बुनियादी ढांचे से जुड़े छह विकास क्षेत्रों में इन जिलों द्वारा की गई प्रगति को मापा गया है। 'परिवारों के बीच कराए गए सर्वेक्षणों' के मान्य डेटा रैंकिंग में शामिल किए गए हैं।

क्या है

1. ये सर्वेक्षण नीति आयोग के ज्ञान साझेदारों जैसे कि टाटा ट्रस्ट्स और बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन (आईडीइनसाइट) द्वारा कराए गए हैं।
2. ये सर्वेक्षण जून माह के दौरान सभी आकांक्षी जिलों में कराए गए जिनके तहत 1,00,000 से भी अधिक परिवारों को कवर किया गया।
3. इसमें तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) द्वारा सत्यापित आंकड़ों के उपयोग के जरिये आकांक्षी जिलों में गुणात्मक विकास का पारदर्शी एवं सही समय पर आकलन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। इससे साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की बुनियाद या आधारों पर प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद की भावना और ज्यादा मजबूत होगी।
4. जून और अक्टूबर 2018 के दौरान संयुक्त रूप से हुई बेहतरी को ध्यान में रखते हुए डेटा रैंकिंग की गणना पारदर्शी ढंग से की गई है।

समग्र रैंकिंग में सर्वाधिक बेहतरी दर्शाने वाले जिले निम्नलिखित हैं

रैंक	जिला	राज्य]
1	विरुधुनगर	तमिलनाडु
2	नुआपाड़ा	ओडिशा
3	सिद्धार्थनगर	उत्तर प्रदेश
4	औरंगाबाद	बिहार
5	कोरापुट	ओडिशा

दूसरी डेटा रैंकिंग में जून-अक्टूबर 2018 के दौरान सबसे कम बेहतरी दर्शाने वाले निम्नलिखित जिलों का भी विवरण दिया गया है :

रैंक	जिला	राज्यX
107	किफायर	नगालैंड
108	गिरिडीह	झारखंड

109	चतरा	झारखंड
110	हैलाकांडी	असम
111	पाकुड़	झारखंड

जिन जिलों ने जून और अक्टूबर 2018 के बीच बड़ी पहल की है और अपने-अपने स्कोर में गुणात्मक छलांग लगाई है उन्हें 'फास्ट मूवर्स' की संज्ञा दी गई है

जिला, राज्य]	जून 2018	अक्टूबर 2018
कुपवाड़ा, जम्मू-कश्मीर	108	7
रांची, झारखंड	106	10
सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश	103	3
जमुई, बिहार	99	9
फतेहपुर, उत्तर प्रदेश	82	25

यूएनएफसीसीसी में भारत के दूसरे बीयूआर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के दायित्व-निर्वहन के तहत भारत के दूसरे द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर) को सम्मेलन में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी। यूएनएफसीसीसी में भारत की दूसरी द्विवार्षिक रिपोर्ट, सम्मेलन में प्रस्तुत पहली द्विवार्षिक रिपोर्ट का अद्यतन रूप है। द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के पांच प्रमुख घटक हैं : - राष्ट्रीय परिस्थितियां; राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस; शमन आधारित कार्यक्रमलाप; वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण संबंधी आवश्यकताएं तथा समर्थन प्राप्ति एवं घरेलू निगरानी, रिपोर्ट व जांच (एमआरवी) आधारित व्यवस्था। राष्ट्रीय स्तर पर किए गए विभिन्न अध्ययनों के पश्चात द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर) तैयार की गई है।

क्या है

1. बीयूआर की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर की गई है - विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा, अवर सचिव (जलवायु परिवर्तन) की अध्यक्षता में प्रौद्योगिकी परामर्शदात्री विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई समीक्षा, सचिव (ईएफ एंड सीसी) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा की गई समीक्षा।
2. राष्ट्रीय संचालन समिति एक अंतर-मंत्रालयी संस्था है जिसमें शामिल हैं - नीति आयोग, कृषि शोध व शिक्षा, कृषि सहयोग और किसान कल्याण, आर्थिक मामलों, विदेशी मामलों, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, कोयला, ऊर्जा, रेलवे बोर्ड, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, जलसंसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ग्रामीण विकास, आवास व शहरी मामलों, औद्योगिक नीति व संवर्धन, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, इस्पात, नागरिक विमानन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग। समीक्षा प्रक्रिया के पश्चात सभी संशोधनों व प्रासंगिक टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए दूसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर) को अंतिम रूप दिया गया है।

- 2014 के दौरान भारत की सभी गतिविधियों से कुल 26,07,488 गीगा ग्राम (सीसी-2 समतुल्य - 2.607 बिलियन टन लगभग) (एलयूएलयूसीएफ को छोड़कर) ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ। एलयूएलयूसीएफ को शामिल करने के पश्चात कुल उत्सर्जन 23,06,295 गीगा ग्राम (कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य - 2.306 बिलियन टन लगभग) हुआ।
- कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी 73 प्रतिशत, आईपीपीयू की 8 प्रतिशत, कृषि की 16 प्रतिशत और अपशिष्ट क्षेत्र की 3 प्रतिशत रही।
- कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी प्रदान करने का दायित्व भारत पर है। दूसरी द्विवार्षिक रिपोर्ट से दायित्व का निर्वहन होगा। भारत इस सम्मेलन का सदस्य देश है।
- वन भूमि, कृषि भूमि और आबादी के कार्बन सिंक ऐक्शन से उत्सर्जन में 12 प्रतिशत की कमी हुई।

वर्ष 2014 के लिए भारत की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तालिका निम्न है

श्रेणी	कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (गीगा ग्राम)
ऊर्जा	19,09,765.74
औद्योगिक प्रक्रिया व उत्पाद उपयोग	2,02,277.69
कृषि	4,17,217.69
अपशिष्ट	78,227.15
भूमि का उपयोग, भूमि उपयोग में बदलाव व वनीकरण (एलयूएलयूसीएफ)	3,01,192.69
कुल (एलयूएलयूसीएफ को छोड़कर)	26,07,488.12
कुल (एलयूएलयूसीएफ के साथ)	23,06,295.43

पृष्ठभूमि

- भारत, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) का सदस्य देश है।
- धारा 4.1 और धारा 12.1 के तहत सम्मेलन, विकसित और विकासशील देशों समेत सभी सदस्य देशों को सम्मेलन के सुझावों/दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी/रिपोर्ट प्रदान करने का आग्रह करता है।
- यूएनएफसीसीसी के सदस्य देशों ने 16वें सत्र में अनुच्छेद 60 (सी) निर्णय-1 के तहत यह निश्चित किया था कि अपनी क्षमता के अनुकूल विकासशील देश भी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- इन रिपोर्टों में राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस तालिका के साथ-साथ उत्सर्जन कम करने के प्रयास, आवश्यकताएं और समर्थन प्राप्ति का भी उल्लेख होगा।
- अनुच्छेद 41 (एफ) में वर्णित कॉप-17 के निर्णय-2 के अनुसार प्रत्येक दो वर्ष में द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्टें जमा की जाएंगी।

भारत ने सीबीडी को छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की

भारत ने 29 दिसम्बर 2018 जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी) को अपनी छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट (एनआर6) प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) द्वारा आयोजित राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) की 13वीं राष्ट्रीय बैठक के उद्घाटन सत्र के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धन द्वारा सीबीडी सचिवालय को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई। मंत्री ने इस अवसर पर “भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों पर प्रगति एक पूर्वावलोकन” दस्तावेज भी जारी किया।

क्या है

1. भारत विश्व के पहले पांच देशों में, एशिया में पहला तथा जैव विविधता समृद्ध मेगाडायवर्स देशों में पहला है, जिसने सीबीडी सचिवालय को एनआर6 प्रस्तुत किया है।
2. जहां विश्वभर में जैव विविधता पर वास विखंडन एवं विनाश, आक्रामक विदेशी प्रजातियों, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों के अतिउपयोग के कारण दबाव बढ़ रहा है, भारत उन चंद देशों में एक है जहां वन आच्छादन बढ़ रहा है और जंगलों में वन्य जीवों की बहुतायत है।
3. भारत राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता लक्ष्यों को अर्जित करने की राह पर है और यह वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों को अर्जित करने की दिशा में उल्लेखनीय रूप से योगदान दे रहा है।
4. राष्ट्रीय रिपोर्टों की प्रस्तुति सीबीडी सहित अंतर्राष्ट्रीय संधियों में पक्षकारों के लिए एक अनिवार्य बाध्यता है। एक जिम्मेदार देश के रूप में भारत ने कभी भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को नहीं छोड़ा है और इससे पहले सीबीडी को समय पर पांच राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है। पक्षकारों द्वारा 31 दिसम्बर, 2018 तक अपना एनआर6 प्रस्तुत कर देना वांछनीय है।
5. एनआर6 20 वैश्विक एआईसीएचई जैव विविधता लक्ष्यों के अनुरूप संधि प्रक्रिया के तहत विकसित 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों को अर्जित करने की दिशा में प्रगति की ताजा जानकारी उपलब्ध कराता है।

राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने 20 दिसम्बर 2018 को नई दिल्ली में राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 के परिणाम घोषित कर दिए। यह अपने तरह की पहली रैंकिंग है। डीआईपीपी ने इसकी कवायद जनवरी 2016 से शुरू कर दी थी। स्टार्ट-अप नीति नेतृत्व, नवाचार, नवाचार प्रगति, संचार, पूर्वोत्तर नेतृत्व, पर्वतीय राज्य नेतृत्व इत्यादि विभिन्न श्रेणियों में राज्यों का आकलन किया गया।

क्या है

1. इस पूरी प्रक्रिया में 27 राज्यों और तीन केन्द्रशासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। मूल्यांकन समिति में स्टार्ट-अप इको प्रणाली से संबंधित स्वतंत्र विशेषज्ञों को रखा गया था, जिन्होंने विभिन्न मानकों के ऊपर सभी राज्यों का मूल्यांकन किया।
2. कई मानक लाभार्थियों के फीडबैक से संबंधित भी थे। लाभार्थियों से बातचीत करने के लिए 9 विभिन्न भाषाओं में 40 हजार से अधिक टेलीफोन कॉल किए गए, ताकि मैदानी हकीकत जानी जा सके।
3. इस अवसर पर डीआईपीपी के सचिव श्री रमेश अभिषेक ने कहा कि रोजगार सृजन के लिए स्टार्ट-अप देश में बहुत अहमियत रखते हैं। स्टार्ट-अप

इन श्रेणियों में किए जाने वाले प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को शानदार प्रदर्शन, बेहतरीन प्रदर्शन, मार्गदर्शक, आकांक्षी मार्गदर्शक, उभरते हुए राज्य और आरंभकर्ता के रूप में पहचान की गई है

1. शानदार प्रदर्शन - गुजरात
2. बेहतरीन प्रदर्शन - कर्नाटक, केरल, ओडिशा और राजस्थान
3. मार्गदर्शक - आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना
4. आकांक्षी मार्गदर्शक - हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल
5. पर्वतीय राज्य - असम, दिल्ली, गोवा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड
6. आरंभकर्ता - चंडीगढ़, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, पुदुच्चेरी, सिक्किम और त्रिपुरा
7. राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 51 अधिकारियों को 'चैंपियन' के रूप में चुना गया, जिन्होंने अपने राज्यों की स्टार्ट-अप इको प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

नए विचारों से लैस होते हैं और ये देश की सामाजिक, कृषि और सेवा क्षेत्र की समस्याएं हल करने में सक्षम होते हैं।

इसरो ने लॉन्च किया GSAT-7A

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 19 दिसम्बर 2018 को एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। शाम 4:10 बजे देश के 35वें संचार सेटेलाइट जीसैट-7ए को सफलतापूर्वक लांच कर दिया गया। संचार सेटेलाइट जीसैट-7ए को उपग्रह प्रक्षेपण यान जीएसएलवी-एफ-11 के जरिए श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे स्टेशन से लॉंच किया गया। भारतीय वायुसेना के लिए ये सेटेलाइट काफी अहम है। संचार सेवा के उपग्रह जीएसएलवी-7ए के प्रक्षेपण से वायुसेना की नेटवर्किंग क्षमता मजबूत होगी। यह हमारी नेटवर्किंग क्षमताओं में जबरदस्त उछाल है। यह हमारे संचार (क्षमताओं) के लिए बहुत फायदेमंद है। हमारे पास संचार क्षमताओं के कई तरह के मंच उपलब्ध हैं। उपग्रह के जरिए संचार सुगम बनाने के लिये प्लेटफार्म बनाया गया है। इस संचार तकनीक के जरिए विमानों की संचार क्षमताओं में वृद्धि संभव हो सकेगी।

इस संचार सेटेलाइट की खासियतें

1. इस सेटेलाइट मिशन की अवधि आठ साल होगी।
2. इस सेटेलाइट का वजन 2250 किलोग्राम है।
3. इससे वायु सेना और थल सेना की ताकत बढ़ेगी।
4. इसकी मदद से वायुसेना अपने ग्राउंड रडार स्टेशन, एयरबेस और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) एयरक्राफ्ट को इंटरलिंक कर सकेगी।
5. इसकी मदद से ड्रोन बेहतर तरीके से सर्विलांस करेंगे। वह तस्वीरों और वीडियो को ग्राउंड स्टेशनों पर निरंतर भेजेंगे।
6. इस पर 500 से 800 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
7. प्रक्षेपण यान जीएसएलवी- एफ 11 इस उपग्रह को भूस्थैतिक स्थानांतरित कक्षा में ले जाएगा और आनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से उपग्रह को अंतिम भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा।
8. इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बनाया है और यह भारतीय क्षेत्र में केयू बैंड के जरिए संचार सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा।

लैंगिक असमानता रिपोर्ट 2018

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की वर्ष 2018 की लैंगिक असमानता रिपोर्ट में भारत को 108वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह रिपोर्ट 18 दिसंबर 2018 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में जारी की गई जिसमें विश्व के विभिन्न देशों पर अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के आंकड़ों में कहा गया है कि महिलाएं हर क्षेत्र में उम्दा कार्य कर रही हैं लेकिन अवसरों की समानता अभी भी मौजूद नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाने में 202 वर्ष लग जायेंगे।

क्या है

1. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लैंगिक असमानता रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया लैंगिक असमानता की खाई को 68 प्रतिशत पाट चुकी है लेकिन फिर भी महिला-पुरुष समानता के लिए 202 वर्ष लग सकते हैं। भारत के मामले में लैंगिक असमानता 66 प्रतिशत तक है, जबकि पूरे दक्षिण एशिया की बात करें तो यह 65 प्रतिशत पर है।
2. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रैंकिंग का आधार चार श्रेणियों में देशों के प्रदर्शन को बनाया गया है: महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और उन्हें मिलने वाले अवसर, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा तथा राजनीतिक सशक्तिकरण।

3. वर्ष 2018 की रिपोर्ट में कुल 149 देशों के इस सर्वे में भारत को 108वां स्थान मिला है। वर्ष 2017 में भी भारत का यही रैंक था, जबकि 2016 में वह 21 स्थान ऊपर 87वें स्थान पर था।
4. वर्ष 2017 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में गिरावट के पीछे मुख्यतः राजनीतिक सशक्तिकरण, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और बुनियादी साक्षरता के क्षेत्रों में लैंगिक असमानता बढ़ने को जिम्मेदार ठहराया गया था।
5. रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई देशों के बीच बांग्लादेश 48वें स्थान के साथ सबसे अच्छी स्थिति में है। वर्ष 2017 में भी बांग्लादेश ही दक्षिण एशिया में लैंगिक असमानता रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ रहा था, पिछले वर्ष बांग्लादेश की रैंकिंग 47 थी।
6. रिपोर्ट में श्रीलंका और नेपाल को क्रमशः 100वें और 105वें स्थान पर रखा गया है. मालदीव का रैंक 113, जबकि भूटान का 122 है। अफगानिस्तान को इस सर्वे में शामिल नहीं किया गया है।
7. कुल 149 देशों पर किये गये सर्वेक्षण में पाकिस्तान का रैंक 148 है, जबकि सबसे नीचे 149वें स्थान पर गृहयुद्ध में फंसे देश यमन को रखा गया है।
8. पिछले सालों की भांति लगातार दसवें वर्ष भी आइसलैंड पहले नंबर पर है. दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः नॉर्वे और स्वीडन हैं।

चारों श्रेणियों में भारत

1. इस रिपोर्ट को चार श्रेणियों में बांटा गया है जिसमें महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा तथा राजनीतिक सशक्तिकरण शामिल हैं।
2. आर्थिक भागीदारी और अवसरों के मामले में भारत 2017 में 139वें स्थान पर था जबकि वर्ष 2018 में 142वें स्थान पर है।
3. स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा श्रेणी में भारत 147वें स्थान पर है. इस श्रेणी में भारत पिछले वर्ष 146वें स्थान पर था।
4. राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में भारत का स्थान 19वां है, जबकि पिछले साथ वह 15वें नंबर पर था।
5. शिक्षा के स्तर श्रेणी में भारत दो स्थान नीचे गिरकर 114वें नंबर पर आ गया है. पिछले वर्ष भारत 112वें स्थान पर था।

‘किराये की कोख’ के कारोबार पर लगोगी लगाम

अब ‘किराये की कोख’ का कारोबार नहीं हो सकेगा। इस पर लगाम लगाने से संबंधित विधेयक को लोकसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। वैसे विधेयक में कुछ मामले में ‘किराये की कोख’ के सहारे संतान प्राप्ति का अधिकार दिया गया है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों ने ‘किराये की कोख’ के व्यवसायीकरण पर रोक लगाने की मांग की थी।

क्या है

1. इसमें परिवार के सदस्यों को ख किराये पर लेने की छूट दी गई है। लेकिन यह साफ नहीं किया गया है कि परिवार में किन-किन लोगों को माना जाएगा।
2. एक बार कानून बनने के बाद इसके लागू करने के लिए नियमों और दिशानिर्देशों को बनाते समय इसे साफ किया जाएगा।
3. लगभग तीन दर्जन संशोधनों के साथ पास विधेयक पर बहस के दौरान टीएमसी और राकांपा की ओर से धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए समलैंगिक जोड़ों को भी ‘किराये की कोख’ लेने की छूट देने की मांग की गई।

4. जबकि नड्डा का कहना था कि **सुप्रीम कोर्ट ने अभी 377 में शादी की इजाजत नहीं दी है।** इसीलिए समलैंगिक जोड़ों को परिवार नहीं माना जा सकता है। नड्डा के अनुसार आधुनिक समाज की मांग और भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए 'किराये की कोख' को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है।
5. **विधेयक में विदेशी जोड़ों के लिए भारतीय महिलाओं की कोख किराये पर लेने को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।** यही नहीं शादीशुदा जोड़े भी शादी के पांच साल बाद ही संतान के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
6. इसी तरह से **पुरुषों के लिए 55 साल और महिलाओं के लिए 50 साल की अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई है।** उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा के बाद अब इस विधेयक को चालू सत्र में ही राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

भारत के सबसे लंबे रेल-सड़क पुल का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसम्बर 2018 को असम के डिब्रूगढ़ में भारत के सबसे लंबे रेल-सड़क पुल का उद्घाटन किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील में बनी 4.94 किलोमीटर लंबी और रणनीतिक दृष्टि से परिपूर्ण व महत्वपूर्ण यह परियोजना न केवल आम लोगों के लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए बल्कि अग्रिम मोर्चे पर सैन्य साजो सामान भेजने में अहम भूमिका निभाएगी। इस पुल पर आपात स्थिति में लड़ाकू विमान भी उतर सकेंगे। यह बोगीबील पुल, असम समझौते का हिस्सा रहा है और 1997-98 में इसकी सिफारिश की गई थी। यह पुल अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा पर रक्षा सेवाओं के लिए भी संकट के समय में खास भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने 22 जनवरी, 1997 को इस पुल की आधारशिला रखी थी लेकिन इस पर काम 21 अप्रैल, 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में शुरू हो सका। पुल का शुभारंभ आज 25 दिसंबर को वाजपेयी जी की वर्षगांठ पर किया गया है।

क्या है

1. **परियोजना में अत्यधिक देरी के कारण इसकी लागत में 85 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो गई।** शुरुआत में इसकी लागत 3230.02 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 5,960 करोड़ रुपये हो गई।
2. इस बीच पुल की लंबाई भी पहले की निर्धारित 4.31 किलोमीटर से बढ़ाकर 4.94 किलोमीटर कर दी गई। परियोजना के रणनीतिक महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पुल के निर्माण को 2007 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। इस कदम के बाद से धन की उपलब्धता बढ़ गई और काम की गति में तेजी आ गई।
3. यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर रहने वाले लोगों को होने वाली असुविधाओं को काफी हद तक कम कर देगा पर इसकी संरचना और इसकी डिजाइन को मंजूरी देते समय रक्षा आवश्यकताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4. यह पुल सुरक्षा बलों और उनके उपकरणों के तेजी से आवागमन की सुविधा प्रदान करके पूर्वी क्षेत्र की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगा। इसका निर्माण इस तरह से किया गया था कि आपात स्थिति में एक लड़ाकू विमान भी इस पर उतर सके।
5. इस पुल को चीन के साथ लगती सीमा पर रक्षा साजो-सामान के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है। इस पुल की लंबाई 4.94 किलोमीटर है। यह पुल असम के डिब्रूगढ़ को धीमाजी से जोड़ेगा।
6. एशिया के इस दूसरे सबसे बड़े पुल में सबसे ऊपर एक तीन लेन की सड़क है और उसके नीचे दोहरी रेल लाइन है। यह पुल ब्रह्मपुत्र के जलस्तर से 32 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे स्वीडन और डेनमार्क को जोड़ने वाले पुल की तर्ज पर बनाया गया है।
7. बोगीबील पुल भूकंप प्रभावित क्षेत्र में बना है। यहां रिक्टर पैमाने के 7 स्केल तक का भूकंप आता रहा है। इस पुल को भूकंपरोधी बनाया गया है जो 7 स्केल तीव्रता से ज्यादा के भूकंप में भी धराशायी नहीं होगा।

8. यह पुल भारतीय सेना के लिए सीमा तक आवागमन में मदद करेगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल असम में डिब्रूगढ़ शहर से 17 किमी दूर स्थित है और इसका निर्माण तीन लेन की सड़कों और दोहरे ब्रॉड गेज ट्रैक के साथ किया गया है।
9. यह पुल देश के पूर्वोत्तर इलाके की जीवन रेखा होगा और असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण तट के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा।
10. इससे अरुणाचल प्रदेश के अंजाव, चंगलांग, लोहित, निचली दिबांग घाटी, दिबांग घाटी और तिरप के दूरस्थ जिलों को बहुत लाभ होगा।

‘हैंड-इन-हैंड’ - 2018

चीन-भारत के बीच सातवां संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास ‘हैंड-इन-हैंड’ - 2018 का 23 दिसम्बर, 2018 को समापन हो गया। इस युद्धाभ्यास में आतंकवादियों के छिपने के स्थानों को घेरने और खोज अभियानों, छापामारी करने, खुफिया जानकारी जुटाने और संयुक्त संचालनों जैसे आतंकवाद से निपटने के अनेक पहलुओं पर आधारित व्याख्यान और विचार-विमर्श शामिल थे। दोनों टुकड़ियों के लिए अंतर-संचालनीयता बढ़ाने और संयुक्त अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोनों तरफ से लाइव फायरिंग भी संचालित की गई।

क्या है

1. दोनों सेनाओं की टुकड़ियों ने 22 दिसम्बर, 2018 को आयोजित मान्यीकरण अभ्यास के हिस्से के रूप में घर के भीतर कार्रवाई करने और बंधकों के बचाव सहित विशेष संयुक्त आतंकवाद विरोधी संचालन आयोजित किये, जिसे दोनों सेनाओं के गणमान्य अधिकारियों ने देखा।
2. भारतीय सेना के त्रिशूल डिविजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल संजीव राय ने दोनों भागीदार देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में मान्यीकरण अभ्यास का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मेजर जनरल ली-शीजोंग चीन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
3. दोनों भागीदार देशों की सेनाओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाने में युद्धाभ्यास हैंड-इन-हैंड 2018 काफी सफल साबित हुआ।
4. सैन्य टुकड़ियों ने शहरी और जंगली क्षेत्रों में आतंकवाद से निपटने में दोनों देशों द्वारा अपनाये गये श्रेष्ठ संचालनों को साझा किया।
5. इस युद्धाभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं को परस्पर विश्वास और सहयोग की समझ बढ़ाने और उसे मजबूत करने का एक अवसर मिला।

बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 में संशोधन को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने पर दंड को अधिक कठोर बनाने के लिए बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दी। बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 को बच्चों के हित और कल्याण की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। यह अधिनियम बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और बच्चों का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए हर चरण को ज्यादा महत्व देते हुए बच्चे के श्रेष्ठ हितों और कल्याण का सम्मान करता है। इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव नहीं है।

क्या है

1. बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा - 4, धारा - 5, धारा - 6, धारा - 9, धारा - 14, धारा - 15 और धारा - 42 में संशोधन बाल यौन अपराध के पहलुओं से उचित तरीके से निपटने के लिए किया

- गया है। यह संशोधन देश में बाल यौन अपराध की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए कठोर उपाय करने की जरूरत के कारण किया जा रहा है।
2. बाल यौन अपराध की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से एक निवारक के रूप में कार्य करने के लिए इस अधिनियम की धारा - 4, धारा - 5 और धारा - 6 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि बच्चों को यौन अपराध से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आक्रामक यौन अपराध करने के मामले में मृत्यु दंड सहित कठोर दंड प्रदान किया जा सके।
 3. प्राकृतिक संकटों और आपदाओं के समय बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण और आक्रामक यौन अपराध के उद्देश्य से बच्चों की जल्द यौन परिपक्वता के लिए बच्चों को किसी भी तरीके से हार्मोन या कोई रासायनिक पदार्थ खिलाने के मामले में इस अधिनियम की धारा - 9 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया गया है।
 4. बाल पोर्नोग्राफी की बुराई से निपटने के लिए बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा - 14 और धारा-15 में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। बच्चों की पोर्नोग्राफिक सामग्री को नष्ट न करने/डिलिट न करने/ रिपोर्ट करने पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है।
 5. ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार की सामग्री का प्रसारण/प्रचार/किसी अन्य तरीके से प्रबंधन करने के मामले में जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं देने का प्रस्ताव किया गया है। न्यायालय द्वारा यथा निर्धारित आदेश के अनुसार ऐसी सामग्री का न्यायालय में सबूत के रूप में उपयोग करने के लिए रिपोर्टिंग की जा सकेगी।
 6. व्यापारिक उद्देश्य के लिए किसी बच्चे की किसी भी रूप में पोर्नोग्राफिक सामग्री का भंडारण/अपने पास रखने के लिए दंड के प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया है।
 7. इस संशोधन से इस अधिनियम में कठोर दंड देने के प्रावधानों को शामिल करने के कारण बाल यौन अपराध की प्रवृत्ति को रोकने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
 8. इससे परेशानी के समय निरीह बच्चों के हित का संरक्षण होगा और उनकी सुरक्षा और मर्यादा सुनिश्चित होगी। इस संशोधन का उद्देश्य यौन अपराध और दंड के पहलुओं के संबंध में स्पष्टता स्थापित करना है।

अन्तरराष्ट्रीय

भारत से पहले चीन ने मारी बाजी

चीन ने रूस से आयातित उन्नत एस-400 (S-400 Missile Air Defence System) वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसके लिए अमेरिका से प्रतिबंधों की धमकी पर चिंताओं के बावजूद भारत ने हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। चीनी सेना, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने पहली बार इस प्रणाली का परीक्षण किया है, इसकी डिलीवरी रूस ने जुलाई में कर दी थी। चीन और रूस के बीच साल 2014 में इस रक्षा प्रणाली के लिए 3 बिलियन डॉलर में डील हुई थी। भारत को रूसी S-400 Triumf मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी कब होगी, इसकी कोई तारीख अभी तक सामने नहीं आई है।

क्या है

1. चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स ने पिछले महीने एस-400 का परीक्षण किया था। परीक्षण के दौरान S-400 Triumf वायु रक्षा प्रणाली ने लगभग 250 किलोमीटर दूर 'सिम्युलेटेड बैलिस्टिक लक्ष्य' को सफलतापूर्वक नष्ट किया।
2. ये लक्ष्य की ओर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की सुपरसोनिक गति से आगे बढ़ा। हांगकांग-स्थित दक्षिण चीन मॉनिंग पोस्ट ने 26 दिसम्बर 2018 को रूसी मीडिया रिपोर्टों के हवाले से ये जानकारी दी। हालांकि परीक्षण के स्थान का खुलासा नहीं किया गया है।

3. भारत ने रूस के साथ हथियारों की खरीद पर अमेरिकी कांग्रेस द्वारा काउंट्रिंग अमेरिका के सलाहकारों के माध्यम से प्रतिबंध अधिनियम (CAATSA) के तहत प्रतिबंधों की धमकी के बावजूद इस वर्ष अक्टूबर में इस प्रणाली को खरीदने के लिए 5 बिलियन अमेरिकी डालर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
4. भारत चाहता है कि लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली हमारे वायु रक्षा तंत्र को मजबूत करे, खासकर 3488 किलोमीटर लंबी चीन-भारत सीमा पर इसको तैनात किया जाए।
5. एस-400 को रूस की सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इस घातक मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए 2014 में रूस के साथ इस सौदे को सील करने वाला चीन पहला विदेशी खरीदार था।
6. इसके बाद तुर्की और भारत ने भी इस मिसाइल सिस्टम के लिए रूस से सौदा किया। एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक साथ तीन तरह की मिसाइल दागने में सक्षम है। यह मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 लक्ष्यों को भेद सकती है।
7. यह मिसाइल प्रणाली 400 किमी दूर तक मौजूद दुश्मन के विमान, मिसाइल और यहां तक कि ड्रोन को भी मार गिराने में सक्षम है। यह प्रणाली एस 300 मिसाइल का ही उन्नत रूप है। ये रूस की नई पीढ़ी का एंटी एयरक्राफ्ट वेपन है जिसे रूसी एल्मेज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है।
8. इस मिसाइल सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे सभी तरह के एरियल टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मिसाइल प्रणाली किसी भी हवाई हमले को 400 किमी की रेंज में और 10,000 फीट की ऊंचाई तक सटीक हमला कर सकती है।
9. हवा में (एयरोडायनामिक) लक्ष्यों के लिए रेंज- 3 किमी से 240 किमी की दूरी तय है। प्रक्षेपित (बैलिस्टिक) लक्ष्यों के लिए रेंज- 5 किमी से 60 किमी की दूरी तय है। मिसाइल सिस्टम की अधिकतम रफ्तार 4.8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक है। 10,000 फीट (30 किमी) की ऊंचाई तक निशाना साध सकता है। इसकी तैनाती में 5 से 10 मिनट तक का समय लगता है।
10. इसकी तय दूरी अमेरिका के एमआईएम-104 से दोगुनी है। इसका मुख्य काम दुश्मनों के स्टील्थ विमान को हवा में उड़ा देना है।
11. जहां तक एस-400 की बात है तो रूस ने इसको अपनी सेना में वर्ष 2007 में शामिल किया था। नाटो में इसका नाम SA-21 Growler है। इसके अलावा सीरिया में भी रूस ने इसको तैनात किया हुआ है।
12. एस प्रणाली पर सिर्फ भारत और चीन की ही निगाह नहीं है बल्कि दूसरे देश भी इसको खरीदने के इच्छुक हैं। तुर्की ने भी इसको लेकर रूस से समझौता किया हुआ है। दोनों देशों के बीच यह समझौता वर्ष 2016 में हुआ था। इसके बाद इसकी डिलीवरी को लेकर हाल ही में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच वार्ता हुई है।
13. इसके मुताबिक रूस ने तुर्की को इसकी पहली डिलीवरी वर्ष 2019 में करने की बात कही है। हालांकि वार्ता के दौरान तुर्की के राष्ट्रापति रसेप तैय्यप इरोदगन ने व्लादिमीर पुतिन ने इसकी डिलीवरी जल्द कराने का अनुरोध किया है।

भारत और साओ टोम एवं प्रिंसिप के बीच हुए समझौते

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उसके इस्तेमाल में सहयोग पर आधारित भारत और साओ टोम व प्रिंसिप के बीच हुए समझौते के बारे में बताया गया। इस समझौते पर 7 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये थे। इस समझौते से पृथ्वी के दूर-संवेदी क्षेत्र, उपग्रह संचार, उपग्रह खोज, अंतरिक्ष विज्ञान और बाह्य अंतरिक्ष की खोज के बारे में नई अनुसंधान गतिविधियों और उनके प्रयोग की संभावना का पता लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

क्या है

1. इस समझौते से लोगों के लाभ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के क्षेत्र में अनेक गतिविधियों को संयुक्त रूप से आयोजित करने और विकसित करने के कार्य को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार दोनों देशों के सभी हिस्सों और क्षेत्रों को लाभ होगा।
2. इस समझौते से पृथ्वी के दूर-संवेदी क्षेत्र, उपग्रह संचार, उपग्रह खोज, अंतरिक्ष विज्ञान और बाह्य अंतरिक्ष की खोज के बारे में नई अनुसंधान गतिविधियों और उनके प्रयोग की संभावना का पता लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
3. इस समझौते से लोगों के लाभ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के क्षेत्र में अनेक गतिविधियों को संयुक्त रूप से आयोजित करने और विकसित करने के कार्य को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार दोनों देशों के सभी हिस्सों और क्षेत्रों को लाभ होगा।

पृष्ठभूमि

1. भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग के लिए साओ टोम व प्रिंसिप की सरकार के दिलचस्पी के बारे में अंतरिक्ष विभाग के विचारों का पता लगाने के लिए विदेश मंत्रालय (नवंबर, 2017) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय एनएससीएस (जनवरी, 2018) के पत्रों के बाद इसरो ने साओ टोम व प्रिंसिप के भौगोलिक स्थिति का प्राथमिक अध्ययन किया।
2. साओ टोम व प्रिंसिप ने अपने देश में उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन की स्थापना करने और उसकी वित्तीय लागत के बारे में अंतरिक्ष विभाग से विचार करने के लिए भी कहा था। इसरो ने अपने अध्ययन के बाद साओ टोम व प्रिंसिप में भारतीय उपग्रह ग्राउंड स्टेशन की उपयुक्तता के बारे में एनएससीएस को अवगत करा दिया था।
3. इसके अलावा, मार्च, 2018 के अंतिम सप्ताह में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और साओ टोम व प्रिंसिप की सरकार के मध्य एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए गए।
4. इसमें इसरो का प्रतिनिधित्व इसरो के चेयरमैन और साओ टोम प्रिंसिप की सरकार की ओर से वहां के विदेश एवं समुदाय मंत्री ने किया। यह आशय पत्र पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए साओ टोम प्रिंसिप में ग्राउंड स्टेशन की स्थापना और परिचालन के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं।
5. साओ टोम व प्रिंसिप के अधिकारियों के आमंत्रण पर, इसरो की एक विशेषज्ञ टीम ने साओ टोम व प्रिंसिप द्वीपसमूह का दौरा किया और ग्राउंड स्टेशन की स्थापना के लिए एक उपयुक्त भू-खंड का चयन किया।
6. ग्राउंड स्टेशन स्थापित करना एक विशेष कार्य है इसलिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की स्थापना के द्वारा ग्राउंड स्टेशन का लाभ प्राप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है।
7. इसलिए दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया, जिसमें “शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उसके इस्तेमाल के क्षेत्र में सहयोग” नामक शीर्षक के तहत अंतरिक्ष से जुड़े बहुविध क्रियाकलाप शामिल हैं।

विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक रिपोर्ट ने भी भारत में इलाज सुविधाओं पर सवाल खड़े किए हैं। डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आधे भारतीयों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया नहीं हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोग भी अपनी आय का 10 फीसद से ज्यादा हिस्सा इलाज पर खर्च कर देते हैं। डब्ल्यूएचओ ने ये खुलासा विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018की रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय आबादी के 17 प्रतिशत लोगों यानी तकरीबन 23 करोड़ नागरिकों को वर्ष 2007 से 2015 के दौरान इलाज पर अपनी तनख्वाह का 10 फीसद से ज्यादा हिस्सा खर्च करना पड़ा था।

क्या है

1. डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अपनी जेब से इलाज पर खर्च करने वाले मरीजों की संख्या ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की कुल आबादी से भी ज्यादा है।
2. भारत के अलावा श्रीलंका में 2.9, ब्रिटेन में 1.6 फीसद, अमेरिका में 4.8 फीसद और चीन में 17.7 फीसद लोग अपने इलाज पर आय का 10 फीसद से ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं। वहीं 17 फीसद भारतीय अपने इलाज पर आय का 10 फीसद हिस्सा खर्च कर देते हैं।
3. डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बहुत से लोग अभी भी उन बीमारियों से मर रहे हैं, जिनका आसानी से इलाज किया जा सकता है।
4. बहुत से लोग कमाई का बड़ा हिस्सा या कमाई से ज्यादा इलाज पर खर्च करने की वजह से गरीबी में धकेले जा रहे हैं। यही वजह है कि भारत में बहुत से लोग स्वास्थ्य सेवाओं को पाने में भी असमर्थ हैं। ये लोग छोटी-छोटी बीमारी का इलाज न करा पाने की वजह से ही मर जाते हैं। ये स्थिति बेहद चिंताजनक है।
5. डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि देश की 3.9 फीसद आबादी या 5.1 करोड़ भारतीय, घरेलू बजट का एक चौथाई से ज्यादा हिस्सा इलाज पर खर्च करते हैं।
6. वहीं श्रीलंका में ऐसी आबादी महज 0.1 फीसद है। ब्रिटेन में 0.5 फीसद, अमेरिका में 0.8 फीसद और चीन में 4.8 फीसद आबादी घरेलू बजट का एक चौथाई हिस्सा इलाज पर खर्च करती है।
7. इलाज पर अपनी आय का 10 फीसदी से ज्यादा हिस्सा खर्च करने वाली आबादी का वैश्विक औसत 11.7 फीसदी है। इनमें 2.6 प्रतिशत लोग अपनी आय का 25 फीसदी से ज्यादा हिस्सा इलाज पर खर्च करते हैं और दुनिया के करीब 1.4 फीसद लोग इलाज पर बहुत ज्यादा खर्च करने के कारण ही बेहद गरीबी का शिकार हैं।

दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए समझौता ज्ञापन के बारे में अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर 22 नवम्बर, 2018 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हस्ताक्षर किये गये थे।

क्या है

1. इस समझौता ज्ञापन से दिव्यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहलों के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।
2. इसके अलावा यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों, विशेष रूप से बौद्धिक दिव्यांगता और मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास में सुधार लाने में मदद करेगा।
3. दोनों देश इस पर कार्यान्वयन के लिए आपसी रूप से सहमति के अनुसार दिव्यांगता के क्षेत्र में विशिष्ट प्रस्तावों को लागू करेंगे।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) और फ्रांस राज्य स्वामित्व अनुसंधान कंपनी कमिसरीट ए एल एनर्जी एटॉमिक एट ऑक्स एनर्जीज आल्टरनेटिव्स (सीईए) तथा फ्रांस की कंपनी ब्यूएटॉम स्टोरेज (एसएएस) के बीच हुए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर 3 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे।

क्या है

1. इस समझौता ज्ञापन पर तीन भाषाओं- हिन्दी, अंग्रेजी और फ्रेंच में तीन-तीन मूलों में हस्ताक्षर किये गये थे।

2. इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सौर पैनलों से चार्ज होने वाली बैट्रियों से युक्त ई-वाहनों का चार्जिंग स्टेशन (एसईसीआई) उपलब्ध कराने की पायलट परियोजना के बारे में भविष्य में होने वाले सहयोग के संबंध में विचार-विमर्श के तौर-तरीकों को परिभाषित करना है।
3. इसके अलावा सौर गतिशीलता का अधिक से अधिक उपयोग और ग्रिड के प्रभाव को न्यूनतम करके विद्युत वाहनों की तैनाती के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में मदद करने के लिए ग्रिड से अधिक से अधिक कनेक्शन को जोड़ना है।
4. इस समझौता ज्ञापन से भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

भारत-दक्षिण कोरिया सेपा वार्ता का 7वां दौर पूरा

भारत-दक्षिण कोरिया समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता (सेपा) का सातवां दौर 11-13 दिसंबर, 2018 को दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ। वार्ता के दौरान भारतीय चीनी उद्योग के प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण कोरिया को आमंत्रित भी किया। भारतीय चीनी उद्योग के प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण कोरिया के सभी तीन चीनी शोधन संयंत्रों के आला प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। यह बैठक सियोल में स्थित भारतीय दूतावास ने आयोजित की थी।

क्या है

1. दक्षिण कोरिया हर साल लगभग 15 लाख टन कच्ची चीनी का आयात करता है और भारतीय चीनी उद्योग 2018-19 चीनी सीजन के दौरान भारत से कच्ची चीनी का निर्यात करने की कोशिश कर रहा है।
2. यह चर्चा बहुत रचनात्मक रही। उल्लेखनीय है कि भारतीय चीनी उद्योग, दक्षिण कोरिया की सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने में सक्षम है।
3. भारतीय चीनी उद्योग दक्षिण कोरिया के चीनी शोधन संयंत्रों के साथ आगे भी बातचीत करेगा, ताकि भारत से दक्षिण कोरिया को चीनी निर्यात के बारे में प्रगति हो सके।

अर्थशास्त्र

एनएबीसीबी प्रत्यायन ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मान्यता हासिल की

प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पेशेगत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों (ओएचएसएमएस) के प्रत्यायन निकायों से जुड़े अपने प्रत्यायन कार्यक्रम के लिए समतुल्यता हासिल कर ली है। भारत के राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय एनएबीसीबी ने 19 दिसंबर, 2018 को प्रशांत क्षेत्र प्रत्यायन सहयोग (पीएसी) की बहुपक्षीय मान्यता व्यवस्था (एमएलए) पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे किसी भी उद्योग को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मान्यता हासिल होगी, जिसके पास एनएबीसीबी लोगो के साथ आईएसओ 45001 प्रमाण पत्र होगा। इस समकक्षता से भारतीय उद्योग जगत तत्काल लाभान्वित होगा, जो विभिन्न देशों विशेषकर एशिया-प्रशांत क्षेत्र को विभिन्न उत्पादों का निर्यात करता है।

क्या है

1. इसका उपयोग नियामकों द्वारा प्रमाणित इकाइयों (यूनिट) में भरोसा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि गोवा सरकार ने फ़ैक्ट्री अधिनियम के तहत वार्षिक ऑडिट के बदले में एनएबीसीबी प्रत्यायन के तहत ओएचएसएमएस प्रमाणन को स्वीकार करके किया है।
2. अब एनएबीसीबी यह सत्यापन करके विश्व बाजार में भारतीय वस्तुओं के निर्यात को सुविधाजनक बना सकता है कि ये वस्तुएं सक्षम प्रमाणन निकायों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणित की गई हैं।
3. एनएबीसीबी प्रत्यायन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मानकों, आईएसओ/आईईसी 17021-1 और आईएसओ 45001 पर आधारित है, जो ओएचएसएमएस पर लागू है।

4. पीएसी द्वारा दी जाने वाली मान्यता एनएबीसीबी के इस प्रदर्शन पर आधारित है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों, आईएसओ/आईईसी 17011 के अनुरूप है, इस पर लागू है और इसे इस क्षेत्र में प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के लिए ओएचएसएमएस में सक्षमता हासिल है। एनएबीसीबी ने वर्तमान में पेशेगत स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए 6 प्रमाणन निकायों को प्रत्यापित किया है।
5. एनएबीसीबी इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से समतुल्य बनने वाला एशिया-प्रशांत क्षेत्र का तीसरा प्रत्यायन निकाय है। इनमें से अन्य दो हांगकांग और मेक्सिको के प्रत्यायन निकाय हैं।
6. पीएसी युक्त एमएलए से पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समकक्षता हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम (आईएएफ) के साथ एमएलए पर हस्ताक्षर करने में सुविधा होगी।
7. आईएएफ से जुड़ा हस्ताक्षरकर्ता सदस्य दर्जा यह रेखांकित करता है कि पेशेगत स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एनएबीसीबी द्वारा प्रमाणन निकायों का किया गया प्रत्यायन अंतर्राष्ट्रीय समतुल्य के रूप में स्वीकार्य होगा।
8. एनएबीसीबी वर्ष 2002 में आईएसओ 9001 प्रमाणन निकायों के लिए, वर्ष 2007 में आईएसओ 14001 प्रमाणन निकायों के लिए, वर्ष 2013 में आईएसओ 17065 पर आधारित उत्पाद प्रमाणन निकायों, वर्ष 2013 में ही आईएसओ 17020 पर आधारित निरीक्षण निकायों, वर्ष 2014 में ग्लोबल गैप, वर्ष 2015 में आईएसओ 27001 के अनुरूप आईएसओ 22000 प्रमाणन निकायों एवं आईएसएमएस प्रमाणन निकायों के लिए और वर्ष 2018 में आईएसओ 50001 के अनुरूप ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली हेतु अपने प्रत्यायन कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समतुल्यता पहले ही हासिल कर ली है।
9. प्रत्यायन से कारोबारियों और उनके ग्राहकों के लिए जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि इसके तहत यह आश्वासन दिया जाता है कि प्रत्यायन प्रमाणन निकाय (सीबी) अपने प्रत्यायन दायरे में हासिल किये जाने वाले कार्य को पूरा करने में सक्षम हैं।

GST काउंसिल की बैठक

केंद्र सरकार ने टीवी, टायर, सिनेमा के टिकट सहित कई वस्तुओं पर GST की दरों में कटौती की घोषणा की है। आम उपयोग की 33 वस्तुओं पर GST दर घटाई गई है। उनमें वे वस्तुएं शामिल हैं जिन पर पहले 28, 18 या 12 फीसद टैक्स वसूला जाता था, उन्हें अब निचली दरों में शामिल किया गया है। यानि **कई उत्पादों को 5 फीसद GST दर तक की श्रेणी में लाया गया है।** नई दरें 1 जनवरी, 2019 से लागू होंगी। दरों में कमी के कारण सरकार को 5500 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी।

क्या है

1. टेलीविजन और मॉनीटर्स पर वस्तु एवं सेवा कर को 28 से घटाकर 18 कर दिया गया है।
2. 100 रुपये तक सिनेमा टिकट पर पहले वस्तु एवं सेवा कर 18 प्रतिशत था, इसको घटा कर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।
3. 100 रुपये से ज्यादा के सिनेमा टिकट पर पहले वस्तु एवं सेवा कर 28 प्रतिशत था, इसको घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।
4. काउंसिल की मीटिंग के बाद पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने बताया, 'कांग्रेस की असली मांग यह थी कि लज्जरी सामान को छोड़कर अन्य सभी उत्पादों को 18 फीसद की दर पर लाया जाना चाहिए और सरकार इससे सहमत भी है। सिर्फ 28 उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी को 18 या उससे कम की वस्तु एवं सेवा कर दर में रखा गया है'।
5. दिल्ली के विज्ञान भवन में वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल या परिषद की अहम बैठक शुरू हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बैठक की अध्यक्षता की। यह जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक थी।

अब कंपोजीशन स्कीम के दायरे में आएगा सर्विस सेक्टर

सरकार उत्पादन इकाइयों और कारोबारियों की तरह सर्विस सेक्टर में भी छोटे उद्यमियों को जीएसटी की कंपोजीशन स्कीम की सुविधा देने जा रही है। जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। सर्विस सेक्टर के लिए कंपोजीशन की सीमा कितनी होगी, इस बारे में काउंसिल ने निर्णय का औपचारिक एलान नहीं किया है। लेकिन कहा जा रहा है कि यह 50 लाख रुपये हो सकती है। साथ ही इस क्षेत्र के लिए जीएसटी की दर पांच फीसद की जा सकती है। फिलहाल कंपोजीशन स्कीम के लिए सालाना टर्नओवर की सीमा एक करोड़ रुपये है और जीएसटी कानून में संशोधनों के प्रभावी होने के बाद इसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये किया जा सकता है। लगभग 18 लाख कारोबारियों ने इसके तहत पंजीकरण कराया हुआ है। सेवा क्षेत्र के उद्यमियों को फिलहाल यह सुविधा नहीं मिल रही है।

क्या है

1. कंपोजीशन स्कीम छोटे कारोबारियों के लिए काफी बेहतर है क्योंकि इसे लेने पर उनके लिए जीएसटी का अनुपालन सरल हो जाता है। उन्हें तीन महीने में मात्र एक रिटर्न दाखिल करना होता है।
2. सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए 3.3 फीसद के निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य से नहीं भटकेगी। जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक के बाद जेटली ने कहा कि दरों में कटौती से राजस्व नुकसान के बावजूद सरकार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर टिकी रहेगी।
3. वित्त मंत्री ने कहा, 'इस वक्त जब हम राजस्व लक्ष्य की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि इंडायरेक्ट टैक्स वसूली अपने लक्ष्य से थोड़ा पीछे है, जबकि डायरेक्ट टैक्स वसूली लक्ष्य से थोड़ा आगे है। हमारा गैर-कर राजस्व भी उम्मीद के अनुरूप ही बढ़ रहा है।
4. वर्तमान हालात में सरकार को पूरी उम्मीद है कि हम राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर टिके रहेंगे।' गौरतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल ने लगभग दो दर्जन वस्तुओं पर टैक्स की दर घटा दी है। इनके तहत टीवी, टायर और सिनेमा टिकट समेत आम उपयोग की कई चीजें पहली जनवरी से सस्ती हो जाएंगी। समीक्षा के बाद जीएसटी के सबसे ऊंचे 28 फीसद वाले स्लैब में अब महज 28 वस्तुएं और सेवाएं रह गए हैं। हालांकि उद्योग जगत ने जीएसटी काउंसिल के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सीमेंट को 28 फीसद वाले स्लैब से निकालने की जरूरत है।

सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए सख्त किए नियम

केंद्र सरकार ने फ्लिपकार्ट और ऐमजॉन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए प्रावधान सख्त करते हुए 26 दिसम्बर 2018 को कई कदम उठाए। इन पर उन कंपनियों के उत्पादों की बिक्री करने से रोक लगा दी गई है, जिनमें इनकी हिस्सेदारी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को किसी उत्पाद विशेष को केवल अपने मंच से बिक्री का अनुबंध करने से भी रोक दिया है।

क्या है

1. ऐसी कोई भी इकाई जिनपर ई-कॉमर्स कंपनी या उसके समूह की किसी कंपनी का नियंत्रण हो या उनके भंडार में ई-कॉमर्स कंपनी या उसके समूह की किसी कंपनी की हिस्सेदारी हो, तो वह इकाई संबंधित ऑनलाइन मार्केटप्लेस (मंच) के जरिये अपने उत्पादों की बिक्री नहीं कर सकेंगी।
2. मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, 'मार्केटप्लेस की समूह कंपनियों की ओर से खरीदारों को दिए जाने वाले कौशिक भेदभाव से रहित तथा उचित होने चाहिए।'
3. अधिसूचना में यह भी कहा गया कि इन कंपनियों को हर साल 30 सितंबर तक पिछले वित्त वर्ष के लिए दिशा-निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि को लेकर विधिवत नियुक्त अपने लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ एक प्रमाण-पत्र रिजर्व बैंक के पास जमा कराना होगा। मंत्रालय ने कहा कि ये बदलाव फरवरी, 2019 से प्रभावी होंगे।

- ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को भारी छूट दिए जाने के खिलाफ मंत्रालय ने घरेलू कारोबारियों की आपत्तियों के मद्देनजर ये निर्णय लिए हैं।
- सरकार ने ई-वाणिज्य मंच का परिचालन करने वाली कंपनियों में शत प्रतिशत विदेशी हिस्सेदारी की छूट दे रखी है, पर वे माल की इन्वेंट्री (खुद का स्टॉक) बना कर उसका बिक्री अपने मंच पर नहीं कर सकती हैं।

विज्ञान एवं तकनीकी

कंप्यूटर की निगरानी अधिसूचना को कोर्ट में चुनौती

किसी भी कंप्यूटर प्रणाली को इंटरसेप्ट करने, उनकी निगरानी और कूट भाषा का विश्लेषण करने के लिये 10 केन्द्रीय एजेन्सियों को अधिकृत करने संबंधी सरकार की अधिसूचना को 24 दिसम्बर 2018 को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी। अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने सरकार की 20 दिसंबर की अधिसूचना को चुनौती देते हुये न्यायालय से इसे निरस्त करने का अनुरोध किया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सरकार की अधिसूचना के अनुसार, 10 केन्द्रीय जांच एजेन्सियों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत कंप्यूटर इंटरसेप्ट करने और उसकी सामग्री का विश्लेषण करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

क्या है

- शर्मा ने अपनी जनहित याचिका में सरकार की इस अधिसूचना को गैर कानूनी, असंवैधानिक और कानून के विपरीत बताया है। उन्होंने इन एजेन्सियों को इस अधिसूचना के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही करने या जांच शुरू नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
- इस याचिका में दावा किया गया है कि अधिसूचना का मकसद अघोषित आपातस्थिति के तहत आगामी आम चुनाव जीतने के लिये राजनीतिक विरोधियों, विचारकों और वक्ताओं का पता लगाकर पूरे देश को नियंत्रण में लेना है। याचिका में कहा गया है कि हमारे देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है।
- याचिका में यह भी कहा गया है कि निगरानी की खुली छूट देने के गृह मंत्रालय के इस आदेश का निजता के मौलिक अधिकार की कसौटी पर परीक्षण किया जाना चाहिए।
- केन्द्रीय जांच एजेन्सियों को किसी भी कंप्यूटर की निगरानी करने या इंटरसेप्ट करने का अधिकार देने के सरकार के कदम की राजनीतिक दलों ने तीखी आलोचना की है और उनका आरोप है कि केन्द्र निगरानी राज्य (सर्विलेन्स स्टेट) बनाने का प्रयास कर रहा है।
- हालांकि, केन्द्र सरकार का कहना था कि ये नियम कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने 2009 में बनाये थे और नये आदेश में सिर्फ उन प्राधिकारों को अधिसूचित किया गया है जो यह कार्रवाई कर सकते हैं।

इस अधिसूचना में शामिल एजेन्सियों में

- गुप्तचर ब्यूरो
- नाकॉटिक्स नियंत्रण ब्यूरो
- प्रवर्तन निदेशालय
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आय कर विभाग के लिये)
- राजस्व गुप्तचर निदेशालय
- केन्द्रीय जांच ब्यूरो
- राष्ट्रीय जांच एजेन्सी
- राँ
- सिग्नल गुप्तचर निदेशालय (जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम के क्षेत्रों के लिये)
- दिल्ली के पुलिस आयुक्त

गगनयान को मंजूरी

इसरो देश के पहले मानव मिशन में सात दिन के लिए तीन भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की परियोजना गगनयान को मंजूरी दे दी है। भारत के इस

महत्वाकांक्षी मिशन को अंजाम देने में एक दिग्गज महिला वैज्ञानिक का सबसे अहम भूमिका निभा रही हैं। 30 साल का अनुभव रखने वाली 56 वर्षीय डॉ. ललिताम्बिका अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को कई उपलब्धियां दिलाने वाली टीमों का हिस्सा रह चुकी हैं।

ललिताम्बिका के बारे में

1. ललिताम्बिका का जन्म 1962 में केरल के तिरुअनंतपुरम में हुआ था। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, त्रिवेंद्रम से कंट्रोल इंजिनियरिंग में एमटेक किया।
2. इसरो में जाने से पहले उन्होंने दो कॉलेजों में पढ़ाया भी था। उन्होंने इसरो में काम करते हुए अपनी पीएचडी की।
3. इसरो ने फरवरी, 2017 में पीएसएलवी के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट को सफल तरीके से लांच कर इतिहास रचा था। ललिताम्बिका भी इस टीम का हिस्सी थीं।
4. इसरो के चेयरमैन के. सिवान ने ललिताम्बिका को गगनयान मिशन में शामिल कर बड़ी जिम्मेदारी दी।
5. ललिताम्बिका को लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में शानदार प्रदर्शन के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया एक्सेलेंस अवॉर्ड भी मिल चुका है।
6. 1988 में तिरुअनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (वीएसएससी) को ज्वाइन किया था। वह एडवांस्ड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं।

गगनयान मिशन के बारे में

1. अंतरिक्ष में मानव मिशन सफल रहने के बाद चांद या अन्य ग्रहों पर भी मानव मिशन भेजने की राह खुलेगी।
2. आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष पर्यटन बढ़ने की संभावना है। इसलिए इसरो की सफलता भी अंतरिक्ष पर्यटन की जमीन तैयार करेगी।
3. यह परियोजना देश में शोध कार्यों को बढ़ावा देगी, साथ ही देश को अंतरिक्ष एवं विज्ञान क्षेत्र की नई प्रौद्योगिकी तैयार करने में मदद मिलेगी।
4. मेडिसिन, कृषि, औद्योगिक सुरक्षा, प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, जल एवं खाद्य स्रोत प्रबंधन के क्षेत्र में तरक्की करने के नए मार्ग खुलेंगे।
5. औद्योगिक जगत की सहायता से इसरो फ्लाइट से जुड़े हार्डवेयर व अन्य उपकरण जुटाएगा।
6. राष्ट्रीय एजेंसियां, शिक्षाविद् और लैबोरेटरी विशेषज्ञ अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देंगे।

परमाणु संयंत्रों के लिए 15,000 टन यूरेनियम की जरूरत

परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) ने संसदीय समिति से कहा है कि देश के परमाणु संयंत्रों के वास्ते ईंधन की सुरक्षा आपूर्ति हासिल करने के लिए 15,000 टन यूरेनियम की जरूरत है। संसद के वर्तमान सत्र में पेश की गई समिति की रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि आयातित यूरेनियम पर निर्भरता घटाने के लिए नई यूरेनियम खदान खोलने के लिए जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाए जाएं। अभी यूरेनियम के घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा झारखंड की जादूगोड़ा खदानों से आता है। ये अब पुरानी हो गई हैं और वहां अब यूरेनियम गहराई पर मिलता है। इसके अलावा उसके उत्खनन की ऊंची लागत उसे आयातित यूरेनियम की तुलना में अव्यावहारिक बनाती है।

क्या है

1. जादूगोड़ा खदानों के अलावा, यूरेनियम आंध्र प्रदेश की तुम्मलपल्ले खदानों से निकाला जाता है। इसके अलावा मेघालय, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी यूरेनियम के भंडार हैं।

2. भारत में 22 परमाणु विद्युत संयंत्र अंतरराष्ट्रीय परमाणु निगरानी निकाय अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अंतर्गत नहीं हैं। इनमें घरेलू यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। भारत फिलहाल कजाखिस्तान, कनाडा और रूस से यूरेनियम का आयात करता है।
3. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, इसमिति का मानना है कि जहां तक परमाणु संयंत्रों के वास्ते परमाणु ईंधन की सुरक्षा आपूर्ति हासिल करनी है तो डीएई का लक्ष्य आरामदेह स्थिति हासिल करने के लिए 15,000 टन यूरेनियम का भंडार सुनिश्चित करना है।
4. सरकार की योजना एक रणनीतिक यूरेनियम भंडार कायम करना भी है ताकि उसके परमाणु रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की कमी न हो।

ऑक्सीजन की मौजूदगी पर जीवन संभव हो जरूरी नहीं

किसी ग्रह पर ऑक्सीजन और जैविक मिश्रणों की मौजूदगी से यह अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए कि वहां पर जीवन भी संभव होगा। एक अध्ययन में यह बात कही गई है। पास और दूर के सौरमंडलों में जीवन की अपनी खोज में अनुसंधानकर्ताओं ने अक्सर यह स्वीकार किया है कि किसी ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन की मौजूदगी इस बात का पक्का संकेत है कि वहां जीवन हो सकता है।

क्या है

1. अमेरिका की जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने इस मान्यता पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया।
2. सौरमंडल से दूर के ग्रहों के वातावरण को प्रयोगशाला में तैयार कर अनुसंधानकर्ताओं ने जैविक यौगिक पदार्थों एवं ऑक्सीजन के साथ ही जीवन की अनुपस्थिति दोनों को कायम करने में सफल रहे।
3. ये परिणाम एसीएस और स्पेस केमिस्ट्री पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं।

‘आईएन एलसीयू एल-55’

उप नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल अजित कुमार पी, एवीएसएम, वीएसएम ने 19 दिसम्बर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में ‘आईएन एलसीयू एल-55’ को नौसेना में शामिल किया। यह इस प्रकृति का पांचवा जहाज है जिसे नौसेना में शामिल किया गया है। जहाज को भारत में ही मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता ने बनाया है।

क्या है

1. यह पोत पानी के साथ-साथ जमीन पर भी काम करेगा। इसका उपयोग युद्धक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, सैनिकों और उपकरणों को जहाज से जमीन पर पहुंचाने के लिए किया जाता है।
2. इन्हें अंडमान और निकोबार कमान के तहत तैनात किया गया है तथा इन्हें खोज और बचाव और आपद राहत अभियानों, आपूर्ति और अन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

फलैशबैक

1. मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितम्बर 2014 को किया था।
2. इसका प्रमुख उद्देश्य रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हैं।
3. उच्च गुणवत्ता मानकों पर और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है।
4. इस पहल से भारत में पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है।

3. इस जहाज की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अभिषेक कुमार के हाथों में है। जहाज पर 5 अधिकारी और 45 नौसैनिक तैनात हैं।
4. यह जहाज टी-72 जैसे भारी टैंक और अन्य वाहन ले जाने में सक्षम है।
5. इन जहाजों की तैनाती भारत की समुद्री सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है और इनका निर्माण माननीय प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' विजन के अनुरूप है।

17 क्षुद्रग्रहों पर मिले पानी के सबूत

जापान के वैज्ञानिकों को पहली बार 17 क्षुद्रग्रहों पर पानी के सबूत मिले हैं। ये प्रमाण उन्हें इंफ्रारेड सैटेलाइट ज़ात्स की मदद से मिले हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि इस खोज की मदद से हमारे सौर मंडल में मौजूद पानी, क्षुद्रग्रहों की उत्पत्ति, पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति से जुड़ी काफी महत्वपूर्ण जानकारियों का पता चलेगा। हमारे सौर मंडल में केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां सतह पर पानी की पुष्टि हुई है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को लेकर कन्फर्म नहीं है कि यहां पृथ्वी पर पानी कहां से आया।

क्या है

1. ताजा शोध में पता चला है कि हमारे सौर मंडल में मौजूद खगोलीय पिंडों में किसी न किसी रूप में पानी हुआ करता होगा या है।
2. क्षुद्रग्रहों को उन स्रोतों में से एक माना जाता है जो कि हमारी पृथ्वी तक पानी लाए।
3. पब्लिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी ऑफ जापान में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जेएक्सए) और टोक्यो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि क्षुद्रग्रहों में पानी हायड्रेटेड मिनरल्स के रूप में रहा होगा। इनका निर्माण पानी के केमिकल रिएक्शन से हुआ होगा।

धरती पर लौटे तीन अंतरिक्ष यात्री

अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में छह महीने से अधिक समय गुजारने के बाद तीन अंतरिक्ष यात्री 20 दिसम्बर को धरती पर लौट आये इन अंतरिक्ष यात्रियों में नासा की सेरेना ऑनन-चांसलर, रूस के सर्गेई रोकोयेव और जर्मनी के एलेक्जेंडर गर्स्ट शामिल हैं जिन्हें लेकर रूसी सोयूज यान अंतरराष्ट्रीय समयानुसार 5 बजकर दो मिनट पर कजाकिस्तान में उतरा।

क्या है

1. अंतरिक्ष यात्रियों ने रेडियो पर कहा कि वे अच्छा महसूस कर रहे हैं। यह दो अंतरिक्ष यात्रियों सेरेना ऑनन-चांसलर और सर्गेई रोकोयेव का पहला जबकि गर्स्ट का दूसरा मिशन था।
2. धरती पर उतरने के बाद तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की शुरुआती चिकित्सकीय जांच की गई। अंतरिक्ष यात्रियों को अपने-अपने देश रवाना होने से पहले स्वागत के लिए जेजकजगान ले जाया जाएगा।
3. यान से बाहर निकलने के बाद गर्स्ट ने कहा कि मैं उड़ान भर कर घर जाने और क्रिसमस के दौरान अपने परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें नतीजों की समीक्षा करनी है।

आज है साल का सबसे छोटा दिन

आज है 21 दिसंबर आज साल का सबसे छोटा दिन होता है आज की रात साल की सबसे लंबी रात होती है। हिंदी में विंटर सोल्सटिस को दिसंबर दक्षिणायन कहा जाता है। साल के सबसे छोटे दिन को विंटर सॉल्सटिस (संक्रांति) कहा जाता है। आज का दिन साल में सबसे छोटा होता है और सूरज से धरती काफी दूर रहती है।

क्या है

1. यह साल बहुत विशेष है **क्योंकि इस बार दिसंबर का पूरा चंद्रमा** (जिसे कोल्ड मून कहा जाता है) रात में आसमान में पूर्ण रूप से दिखाई देगा।
2. यह पूरा चांद 21 और 22 दिसम्बर 2018 की रात देखा जा सकेगा। मूल अमेरिकियों में दिसंबर की पूर्णिमा को वर्ष के सबसे ठंडी अवधि की शुरुआत के रूप में चिह्नित किया जाता है।
3. **उत्तरी गोलार्द्ध में 21 दिसम्बर का दिन सर्दी का पहला दिन माना जाता है।** इस दिन रात साल में सबसे लंबी होती है। भारत में विंटर सॉल्लसटिस 22 दिसंबर को तड़के 3.53 बजे होगा।
4. यह स्थिति तब होती है जब सूर्य सीधे मकर रेखा के ऊपर होता है। तकनीकी तौर पर जानें तो दक्षिणी गोलार्द्ध में सूर्य का प्रकाश ज्यादा जाता है जबकि उत्तरी गोलार्द्ध में कम और यही वजह है कि इस दिन उत्तरी गोलार्द्ध में दिन छोटा होता है और रात लंबी।

विविध

तीन द्वीपों के नाम बदले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार के तीन द्वीपों के नाम बदलने की 30 दिसम्बर 2018 को घोषणा की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा यहां तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर यह घोषणा की गई। मोदी ने भाषण के दौरान कहा कि रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा जाएगा, नील द्वीप को अब से शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट, शफ्टर्ड डे कवर और 75 रुपया का सिक्का भी जारी किया। साथ ही उन्होंने बोस के नाम पर एक मानद विश्वविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा की। इससे पहले मोदी ने यहां मरीना पार्क का दौरा किया और 150 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां उन्होंने पार्क में स्थित नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की।

क्या है

1. यह द्वीप 2004 में आई सुनामी की चपेट में आया था। द्वीप पर प्रचलित संयुक्त परिवार व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां के लोग देश के अन्य हिस्सों के लिए नजीर पेश कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।
2. अंडमान के किसानों के लिए उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोकोनट हस्क का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
3. उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की महत्ता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, श्रम देश को सस्ती और हरित ऊर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कार निकोबार के पर्यावरण का संरक्षण करते हुए सौर ऊर्जा की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। उन्होंने कहा कि द्वीप पर 300 किलोवाट तक की सौर ऊर्जा पैदा करने वाली ईकाई स्थापित की जाएगी।
4. केंद्र सरकार ने देश के मछुआरों के कल्याण के लिए 7,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य किसानों को वित्तीय रूप से सशक्त करना है।
5. सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि देश का कोई भी कोना और उसके लोग विकास से वंचित ना रहे। कार निकोबार में लोगों की सुरक्षा के साथ सरकार युवाओं के लिए रोजगार, बच्चों के लिए शिक्षा, बुजुर्गों के लिए चिकित्सा देखभाल और किसानों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने की कोशिशें कर रही है।

AFC एशियाई कप के लिए पहुंचने वाली पहली टीम बनी भारत

भारतीय फुटबॉल टीम एएफसी एशियाई कप में भाग लेने के लिए टूर्नामेंट से 17 दिन पहले गुरुवार (20 दिसंबर) को यहां पहुंची। भारतीय टीम पहली राष्ट्रीय टीम है जो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंची है। भारतीय दल का हवाई अड्डे पर भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने स्वागत किया। कुछ भारतीय प्रशंसक भी अपने खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। भारत को ग्रुप ए में रखा गया है, जहां उसका पहला मैच छह जनवरी को थाईलैंड से होगा। इसके बाद टीम 10 जनवरी को यूएई और 14 जनवरी को बहरीन से भिड़ेगी। यह चौथा अवसर है जबकि भारत ने इस महाद्वीपीय चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया है। इससे पहले 2011 में उसने इस टूर्नामेंट में जगह बनाई थी।

क्या है

1. भारत अपनी तैयारियों के सिलसिले में 27 दिसंबर को ओमान से अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच भी खेलेगा।
2. भारत इस टूर्नामेंट में चौथी बार हिस्सा ले रही है। इससे पहले वह 1964, 1984, 2011 में इस टूर्नामेंट में खेल चुकी है। टूर्नामेंट का आगाज करने से पहले भारत को इसी साल 27 दिसंबर को ओमान के खिलाफ दोस्ताना मैच भी खेलना है।
3. भारत की 28 सदस्यीय टीम इस प्रकार है- गोलकीपर- गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह, अरिंदम भट्टाचार्य, विशाल कैथ।
4. डिफेंडर- प्रीतम कोटल, लालरूथारा, संदेश झिंगन, अनस इडाथोडिका, सलाम रंजन सिंह, सार्थक गोलुई, सुभाशीष बोस, नारायण दास।
5. मिडफील्डर-उदांता सिंह, जैकीचंद सिंह, प्रणन हल्दर, विनीत राय, राउलिन बोर्जिस, अनिरुद्ध थापा, जर्मन पी सिंह, आशिक कुरुनियान, हालीचरण नजारी, लालियनझुआला छांगटे।
6. फॉरवर्ड- सुनील छेत्री, जेजे लालपेखलुआ, बलवंत सिंह, मनवीर सिंह, फारुख चौधरी, सुमीत पासी।

भारत में पहली बार होंगे NBA मैच

उत्तर अमेरिका की पेशेवर बास्केटबॉल लीग नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (NBA) पहली बार भारत में दस्तक देने जा रही है। और इसकी टीमों इंडियाना पेसर्स तथा स्कामेटो किंग्स वर्ष 2019 में अपने नए सत्र की शुरुआत से पूर्व दो अहम मुकाबले मुंबई में खेलेगी। प्रतिष्ठित अमेरिकी बास्केटबॉल लीग एनबीए का मकसद भारत में अपनी लोकप्रियता के साथ इस खेल को प्रचारित करना है। अगले वर्ष एनएससीआई डोम में चार और पांच अक्टूबर को एनबीए के दो मुकाबले आयोजित किए जाएंगे।

क्या है

1. एनबीए के उपयुक्त मार्क टॉटम और एनबीए भारत के प्रबंध निदेशक यानिक कोलाको ने यहां गुरुवार (20 दिसंबर) को इसकी घोषणा की। प्रशंसक इन मैचों के लिए टिकटें ऑनलाइन खरीद सकेंगे।
2. इन मैचों का देश में सीधा प्रसारण भी किया जाएगा तथा अन्य 200 देशों में ये मैच टीवी, सोशल मीडिया और डिजिटल टीवी के माध्यम से पहुंचेंगे।
3. भारतीय मूल के विवेक रानाडिव के सह मालिकाना हक वाली एनबीए की टीम द किंग्स में मारविन बाग्ले, डी आरोन फॉक्स, बडी हिल्ड जैसे खिलाड़ी शामिल हैं जबकि द पेसर्स में एनबीए के ऑल स्टार विक्टर ओलाडिपो, माइल्स टर्नो और डोमानटास सबोनिंस मुख्य हैं।
4. क्रिकेट का दीवाना भारत एनबीए की पसंद पहले से रहा है। एसोसिएशन नई दिल्ली के पास एक अकादमी चलाती है। इसके साथ ही 2006 से लेकर अभी तक 35 नए और पुराने एनबीए और डब्ल्यूएनबीए प्लेयर को दौरे पर बुला चुकी है।

5. भारत में हर सीजन में 350 से अधिक लाइव एनबीए गेम्स दिखाए जाते हैं, जिसमें से 78 लाइव हिंदी कमेंट्री के साथ प्रसारित होते हैं।

सरदार पटेल पुरस्कार की घोषणा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केवडिया में डीजीपी/ आईजीपी सम्मेलन में राष्ट्रीय अखण्डता के लिए वार्षिक सरदार पटेल पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकीकरण को और बढ़ाने की दिशा में असाधारण प्रयासों के लिए दिया जाएगा।

क्या है

1. सरदार पटेल ने भारत को एकजुट करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
2. राष्ट्रीय अखण्डता के लिए सरदार पटेल पुरस्कार उनके लिए एक उचित श्रद्धांजलि होगी और यह अधिक से अधिक लोगों को भारत की एकता और राष्ट्रीय अखण्डता को बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा।

ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में रेलवे को मिले 17 पुरस्कार

रेलवे ने 14 दिसंबर को आयोजित 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2018' में 17 पुरस्कार हासिल किए हैं। विभिन्न उप क्षेत्रों को शामिल करते हुए पांच प्रमुख श्रेणियों में दिए जाने वाले पुरस्कारों में से रेलवे ने तीन श्रेणियों स्टेशन, अस्पताल और संस्थानों की कैटेगरी में हिस्सा लिया था। परिवहन के क्षेत्र में स्टेशन कैटेगरी के तहत रेलवे को जहां 10 पुरस्कार मिले वहीं अस्पतालों की कैटेगरी में उसके हिस्से में तीन पुरस्कार आए। संस्थानों की कैटेगरी की बात करें तो उसे पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी और पीएचईडी के लिए चार पुरस्कार मिले।

क्या है

1. स्टेशनों की कैटेगरी में रेलवे के हिस्से में जो 10 पुरस्कार आए हैं, उनमें मध्य प्रदेश का विदिशा स्टेशन पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर गुजरात का जामनगर है। इसके बाद द्वारका, राजकोट, सुरेंद्रनगर, हैदराबाद, निजामाबाद, गुवाहाटी, जयपुर और काजीपेट का स्थान आता है।
2. अस्पताल कैटेगरी में बात करें तो रेलवे का इज्जतनगर डिवीजन पहले नंबर पर रहा है। राजकोट डिवीजन का रेलवे अस्पताल दूसरे जबकि रतलाम डिवीजन का रेलवे अस्पताल तीसरे नंबर पर रहा है।
3. कार्यालयों में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में रेलवे के हिस्से में चार पुरस्कार आए हैं, इनमें से सिकंदराबाद डिवीजन और हैदराबाद के डीआरएम आफिस को पहला और दूसरा पुरस्कार मिला।

अटल जी के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 24 दिसम्बर 2018 को संसद भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सौ रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। इस मौके पर वाजपेयी के साथ काफी लंबे समय तक रहने वाले उनके सहयोगी और वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, वित्त मंत्री अरुण जेटली, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और अटल बिहारी वाजपेयी के परिजन भी मौजूद थे। **वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा।** पिछले वर्ष वित्त मंत्रालय ने 100 रुपये के नए सिक्के के बारे में एक अधिसूचना जारी की थी।

क्या है

1. इस सिक्के का वजन 35 ग्राम और त्रिज्या (रेडियस) 2.2 सेंटीमीटर है और यह 50 पचास प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, पांच प्रतिशत निकेल और पांच प्रतिशत जस्ते से बनाया गया है।
2. सिक्के के फ्रंट (सामने की ओर) पर बीच में अशोक स्तम्भ है, जिसके नीचे शसत्यमेव जयते लिखा है।

3. वृत्त पर बायीं ओर शभारतश और दाहिनी ओर अंग्रेजी में इंडियाश लिखा है तथा अशोक स्तम्भ के नीचे रुपये का प्रतीक चिह्न और अंग्रेजी के अंक में १००९ अंकित है।
4. सिक्के के पीछे की तरफ वाजपेयी का चित्र है। ऊपर के वृत्त पर बायीं ओर देवनागरी में और दाहिनी ओर अंग्रेजी में अटल बिहारी वाजपेयीश लिखा है और वृत्त के निचले हिस्से में अंग्रेजी के अंकों में “1924” और “2018” मुद्रित है।
5. वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और इस वर्ष 16 अगस्त को उनका निधन हो गया था।

‘सदैव अटल’ स्मृति स्थल का उद्घाटन

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अटल स्मृति न्यास सोसायटी ने उनके स्मारक को ‘सदैव अटल’ स्मृति स्थल नाम दिया है। राष्ट्रीय स्मृति स्थल (Rashtriya Smriti Sthal) को देश को समर्पित कर दिया गया है।

क्या है

1. अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, अमित शाह और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत अन्य मशहूर हस्तियों पहुंचीं।
2. राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर एक खाली जमीन को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने मुहैया कराया। इसका निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने 10.51 करोड़ रुपये की लागत से करवाया।
3. परियोजना का वित्त पोषण अटल स्मृति न्यास सोसायटी ने किया।

एक तारीख जिसने बदल दी दो मुल्कों की किस्मत

1947 में भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान की किस्मत में एक और बंटवारा लिखा था। पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से हो रही उपेक्षा और सियासी तिरस्कार से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में जन्मे आक्रोश ने पाकिस्तान के इतिहास और भूगोल को हमेशा-हमेशा के लिए बदल दिया। वो तारीख थी, 16 दिसम्बर 1971 और घटना थी - बांग्लादेश की मुक्ति की। मुक्ति पाक सेना के अत्याचारों से, उसके शोषण से, कलेजा फाड़ देने वाले उनके कुकृत्यों से, सियासी तिरस्कारों से। 16 दिसंबर को पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा आजाद हो गया और दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ।

क्या है

1. 25 मार्च 1971 को पाक सेना और पुलिस ने पूर्वी पाकिस्तान में जमकर नरसंहार किया। लगभग आठ महीने तक चले अत्याचार के दौरान पाकिस्तानी सेना के हाथ मासूमों के खून से रंग गए।
2. 14 दिसम्बर 1971 को पाक सेना और उसके समर्थकों ने 1000 से अधिक बंगाली बुद्धिजीवियों को मार डाला। रजाकर, अल बदर और अल शम्स जैसे संगठनों ने काफी कत्ल-ए-आम मचाया। बंगाली बुद्धिजीवियों को उनके घरों से खींचकर मार डाला गया। इनका मकसद था कि नए राष्ट्र में बुद्धिजीवियों की पीढ़ी खत्म कर दी जाए।
3. 25 मार्च को नरसंहार के बाद ही पाक सेना में पूर्वी पाकिस्तान के तैनात जवानों ने बगावत कर दी और मुक्ति वाहिनी का गठन कर दिया और पाक सेना के अत्याचार के खिलाफ खड़े हो गए।
4. मुक्ति वाहिनी को सबसे बड़ा साथ मिला पड़ोसी देश भारत का, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी को समर्थन दिया और फिर भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग शुरू हो गई।
5. भारतीय सैनिकों की जांबाजी के आगे पाकिस्तान की हेकड़ी खत्म हो गई, 93 हजार से अधिक पाक सैनिकों ने बंदूकें डाल दी। भारतीय जनरल जगजीत सिंह के सामने पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया।

6. 16 दिसम्बर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ और अवामी लीग के नेता शेख मुजीब बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस स्वतंत्रता में 30 लाख लोग पाक सेना की बर्बरता का शिकार होकर शहीद हो गए।
7. पाक सेना ने महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह यह नहीं समझ पाए कि मासूमों पर होने वाला जुल्म उनके ही मुल्क की किस्मत को बदल देंगे और उनका एक हिस्सा उनसे सदा के लिए आजाद हो जाएगा।

रामसेतु तक एक बार फिर मिलेगा सीधा रेल संपर्क

केंद्र सरकार ने रामेश्वरम-धनुषकोडि सेक्शन पर रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। इससे प्रसिद्ध रामसेतु तक सीधा रेल संपर्क बहाल हो जाएगा। क्योंकि धनुषकोडि से रामसेतु शुरू होता था। करोड़ों रामभक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पंबन सेतु के सामानंतर नया पुल बनाने की मंजूरी भी दे दी है। रेलवे के उक्त दोनों अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर 458 करोड़ की लागत आएगी। रेल मंत्रालय ने जमीन पर 17 किलोमीटर लंबी रामेश्वरम-धनुषकोडि रेल लाइन को दुबारा बिछाने की मंजूरी दे दी है। इसके आगे तलाईमन्नार (श्रीलंका) का शहर है। इस रेल लाइन को बनाने के लिए डीपीआर, डिजाइन व दस्तावेजी कार्रवाई जनवरी माह से शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना पर 208 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

क्या है

1. रेल मंत्रालय ने रामेश्वरम जाने वाले रामभक्तों की सुविधा के लिए पंबन सेतु के सामानंतर नया पुल बनाने की मंजूरी भी दे दी है। इसमें तमिलनाडु के मंडपम से रामेश्वरम के बीच दो किलोमीटर लंबा समुद्र पर नया सेतु बनाया जाएगा।
2. नया सेतु पुराने पंबन सेतु से तीन मीटर ऊंचा होगा। इससे ज्वार-भाटा के दौरान रेल परिचालन पर असर नहीं पड़ेगा। 24 फरवरी 1914 में शुरू हुए पुराने सेतु की स्थिति जर्जर हो रही है। नए सेतु के निर्माण पर 250 करोड़ की लागत आएगी। अधिकारी ने बताया दोनों परियोजनाएं अगले चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
3. नया पंबन सेतु अधुनिक तकनीक की मिसाल बनेगा। समुद्र में बड़े जहाज, स्टीमर के जाने के लिए पहली बार वर्टिकल लिफ्ट (यूरोपीय तकनीक) की तर्ज पर सेतु का 63 मीटर लंबा हिस्सा रेल लाइन सहित ऊपर उठ जाएगा।
4. रेल लाइन के दोनों छोर और उठने वाले हिस्से पर कंट्रोल के लिए टावर बनेंगे। इस लाइन में इस्तेमाल होने वाले स्लीपर कंपोजिट (कई प्रकार की सामग्री) होंगे। इससे समुद्र के खारे पानी व हवा से क्षरण नहीं होगा।
5. रामेश्वरम-धनुषकोडि रेल लाइन 1964 में आए साइक्लोन में पूरी तरह तबाह हो गई थी। इस दौरान एक पैसंजर ट्रेन में सवार सभी 115 यात्री और रेलवे स्टाफ मारे गए थे। हालांकि धनुषकोडि रेलवे स्टेशन के अवशेष आज भी मौजूद हैं।
6. श्रीलंका की तरफ से 1964 में ध्वस्त हुई रेलवे लाइन को श्रीलंका ने भारतीय एजेंसी इरकॉन की मदद से फिर से चालू कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मार्च 2015 को कोलंबो से तलाईमन्नार तक जाने वाली रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई थी। धनुषकोडि तक रेल लाइन बनने से एक बार फिर समुद्री मार्ग से श्रीलंका का सफर आसान हो सकेगा।
7. 1964 तक श्रीलंका जाने वाले यात्री धनुषकोडि रेलवे स्टेशन पर उतरते थे। यहां से श्रीलंका (तब सिलोन) जाने के लिए उन्हें स्टीमर सेवा मिलती थी। इस स्टीमर का रेल के साथ ही संयुक्त टिकट मिल जाता था। धनुषकोडि से श्रीलंका के तलाईमन्नार की दूरी महज 35 किलोमीटर है।

107 साल पहले गाया गया था राष्ट्रगान 'जन गण मन'

किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान उसकी अंतरराष्ट्रीय पहचान होता है। साथ ही देशवासियों के लिए सबसे सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। भारत का राष्ट्रगान 'जन गण मन' पहली बार आज से ठीक 107 साल पहले, 27

दिसम्बर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता (तब कलकत्ता) अधिवेशन के दौरान बंगाली और हिंदी भाषा में गाया गया था। राष्ट्रगान लिखने वाले देश के नोबल पुरस्कार प्राप्त राष्ट्रकवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने वर्ष 1911 में ही इस गीत की रचना की थी। उन्होंने पहले राष्ट्रगान को बंगाली में लिखा था। बाद में आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया था। 24 जनवरी 1950 को आजाद भारत की संविधान सभा ने इसे अपना राष्ट्रगान घोषित किया था। क्या है

1. खुद गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही अपने इस गीत का 1919 में अंग्रेजी अनुवाद 'दि मॉर्निंग सांग ऑफ इंडिया' किया था। इसके बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू के विशेष अनुरोध पर अंग्रेजी संगीतकार हर्बर्ट मुरिल्ल ने इसे ऑर्केस्ट्रा की धुनों पर भी गाया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान (अमार सोनार बांग्ला) भी लिखा था।
2. राष्ट्रीय प्रतीकों और चिन्हों की तरह राष्ट्रगान के सम्मान को बरकरार रखने के लिए भी कानून बनाया गया है। राष्ट्रगान की आचार संहिता के तहत राष्ट्रगान गाते समय नियमों और नियंत्रणों के समुच्चय को लेकर भारतीय सरकार समय-समय पर निर्देश देती है।
3. राष्ट्रगान को गाए जाने की कुल अवधि 52 सेकेंड है। इसे 49 से 52 सेकेंड के बीच ही गाया जाना चाहिए। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है। इसमें प्रथम और अंतिम पंक्तियां ही बोलते हैं। इसमें लगभग 20 सेकेंड का समय लगता है।
4. राष्ट्रगान का अपमान करने या इसे गाने से रोकने या परेशान करने पर संबंधित व्यक्ति अथवा ग्रुप के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टु नेशनल ऑनर एक्ट-1971 की धारा-3 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अपमान का दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
5. गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रगान में पांच पद हैं। राष्ट्रगान के रूप में इसके पहले पद को ही अपनाया गया। नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने ही अपनी आजाद हिंद फौज में 'जय हे' नाम से इस गीत को अपनाया था।
6. **जन गण मन का पहली बार प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ था।** तब इसका शीर्षक रखा गया था भारत विधाता। तेलंगाना के जम्मिकुंटा गांव और हरियाणा में फरीदाबाद जिले के भनकपुर गांव में हर सुबह सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया जाता है।
7. राष्ट्रगान को लेकर पहला विवाद 1987 में सामने आया था, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। केरल के एक स्कूल के कुछ विद्यार्थियों को स्कूल ने इसलिए निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया था।
8. सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान पता चला कि ये विद्यार्थी स्कूल में राष्ट्रगान के दौरान इसके सम्मान में खड़े होते थे। इस पर अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा था कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान करता है, लेकिन उसे गाता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह उसका अपमान कर रहा है।
9. राष्ट्रगान को लेकर एक शुरुआत में एक और अजीबो-गरीब विवाद खड़ा हो गया था। इसके बारे में कहा जाने लगा था कि इसे जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा गया है।
10. इस विवाद पर स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी उस वक्त खंडन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि सिनेमाघरों में फिल्म खत्म होने के बाद राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए।
11. भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ ही मान्यता प्रदान की गई थी। इसका स्थान भी राष्ट्रगान के समकक्ष है।
12. इसकी रचना बंकिमचंद्र चटर्जी ने सात नवंबर 1876 को बंगाल के कांतल पाड़ा गांव में की थी। इसके पहले दो पद संस्कृत में और शेष पद बंगाली भाषा में थे।
13. राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया था। इस गीत को भी सबसे पहले कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 को गाया गया था। बाद में अरविंदो घोष इसका अंग्रेजी में और आरिफ मोहम्मद आरिफ खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया था।

डीआईपीपी स्वच्छ भारत ग्रैंड चौलेंज अवाइर्स

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने 01 से 15 नवम्बर, 2018 तक स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छ भारत ग्रैंड चौलेंज का आयोजन किया। यह आयोजन देश में डीआईपीपी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के नवोन्मेषी समाधानों को सम्मानित करने के लिए किया गया। ग्रैंड चौलेंज के लिए चार क्षेत्रों ख स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा वायु प्रदूषण का चयन किया गया। 22 राज्यों के 70 जिलों से 165 आवेदन प्राप्त हुए। स्टार्टअप से विलक्षण समाधान प्राप्त हुए, जिन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए भी आवेदन किया है। स्वच्छ भारत ग्रैंड चौलेंज के लिए प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपये तथा दूसरे पुरस्कार के लिए 01 लाख रुपये और साथ ही प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये। विभिन्न श्रेणियों के विजेता निम्नलिखित हैं -

पुरस्कार	क्षेत्र-वायु	विवरण	स्थान
प्रथम पुरस्कार	मैकलेक टेक्निकल प्रोजेक्ट्स लैब्रटॉरी प्राइवेट लिमिटेड	एमवी-1 (उत्पाद) यातायात के वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषकों को इकट्ठा करता है और पीएम _{2.5} , धूल के कणों तथा संपीड़ित वायु का इलेक्ट्रिक उत्पादन के लिए भंडारण करता है।	दिल्ली
दूसरा पुरस्कार	स्मॉल स्पा र्क कॉन्सेप्ट्स टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड	एससीएचओआरएलटीएम एयर फिल्टर टेक्नॉलॉजी है, जो ऊष्मा के संचरण को बढ़ाने के लिए इंजन को आपूर्ति किये जाने वाले ईंधन के दहन को बेहतर बनाती है, इसका पेटेंट लंबित है।	महाराष्ट्र (पुणे)
	क्षेत्र-स्वच्छता		
प्रथम पुरस्कार	ऑल्ट्रासॉफ्ट इनोवेशन्स च इंडिया प्रा.लिमिटेड	स्वि-सफाई सुविधा फर्श की सफाई की अवधारणा तथा उपयोग की निगरानी के लिए आईओटी सक्षम कंट्रोल बोर्ड युक्ती इंटेलेजेंट पब्लिक टॉयलेट्स (आईपी टॉयलेट)	केरल (कोच्चि)
दूसरा पुरस्कार	नेचर्सएनी प्रा.लिमिटेड	गंधहीन, जल रहित और रसायन मुक्त मूत्रालय प्रणालियों का निर्माण करती है, जो एक ऐसा एयर लॉक सिस्टम उपलब्ध कराती है, जो मूत्र को हवा या ऑक्सीजन के सम्पर्क में नहीं आते देता।	तेलंगाना
	क्षेत्र-अपशिष्ट		
प्रथम पुरस्कार	संशोधन एन ई-वेस्ट एक्सचेंज प्रा.लिमिटेड	ई-वेस्ट एक्सचेंज लोगों को सरकार के नियमों का पालन करते हुए अपने ई-कचरे का निपटान करने में समर्थ बनाता है।	तेलंगाना
दूसरा पुरस्कार	फ्लाइकैचर टेक्नोलॉजिज एलएलपी	कचरा सामग्री को संसाधित करने के लिए भंडारण इकाइयां सृजित करता है, जिससे घरेलू रसोई-घर में इस्तेमाल होने वाली बायो-गैस का उत्पादन होता है।	महाराष्ट्र (मुम्बई)
	क्षेत्र-जल		
प्रथम पुरस्कार	आरईवीवाई एनवॉयरमेंटल सोल्युमशन्स प्रा.लि.	650 संख्याट से अधिक के विविध बैक्टीरिया की अवायवीय दानेदार गाद का सृजन करता है, जिसका इस्तेमाल अपशिष्ट जल को उपचारित करने के लिए किया जाता है। इस जल को सीधे सिंचाई के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है।	गुजरात
दूसरा पुरस्कार	ईएफ पॉलीमर प्रा.लि.	एक ऐसे मिश्रण का सृजन किया है, जो प्राकृतिक तरीके से सड़नशील कचरे को इस्तेमाल करते हुए जल को अवशोषित और प्रतिधारित करता है। यह मिश्रण पानी को सोख लेता है और उसे खेतों में बहने से रोकता है।	राजस्थान

डीआईपीपी द्वारा नवम्बर में आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें उद्योग भवन के गलियारों, कार्यालय परिसरों, अहातों और पार्किंग स्थलों की सफाई आदि शामिल हैं। ये पुरस्कार आज नई दिल्ली में डीआईपीपी सचिव रमेश अभिषेक ने प्रदान किये।

अंटार्कटिका पार करने वाले पहले व्यक्ति

अमेरिका का एक जांबाज किसी तरह की मदद के बगैर अंटार्कटिका पार करने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। कोलिन ओब्रेडी (33) को उत्तर से दक्षिण तक बर्फ की चादर से ढके इस महाद्वीप की करीब 1,600 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में 54 दिन लगे। अंतिम 77.5 मील की यात्रा 32 घंटे में पूरी करने के बाद ओब्रेडी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, मैंने अकेले अंटार्कटिका महाद्वीप को पार करने वाला इतिहास में पहला व्यक्ति बनने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया।

क्या है

1. उन्होंने लिखा हालांकि आखिरी 32 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे चुनौतीपूर्ण घंटे रहे लेकिन साथ ही वे अभी तक के सबसे अच्छे क्षण साबित हुए।
2. ओब्रेडी और इंग्लैंड के सेना कैप्टन लुईस रुड (49) ने तीन नवंबर को अंटार्कटिक पार करने की यात्रा शुरू की थी।
3. ओब्रेडी 25 दिसम्बर 2018 को प्रशांत महासागर पर रॉस आईस शेल्फ पर पहुंचे। रुड उनसे एक या दो दिन पीछे हैं।
4. साल 2016 में इंग्लैंड के एक सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी वोर्सली की अकेले अंटार्कटिका पार करने की कोशिश में मौत हो गई थी।

अब पुरुषों को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव

केंद्र सरकार ने पुरुष कर्मचारियों को एक नया तोहफा दिया है। सरकार ने अब केंद्रीय कर्मचारियों के अवकाश के नियमों में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के बाद अब पुरुष कर्मचारियों को भी चाइल्ड केयर लीव मिल सकेगी। इसके पहले सिर्फ महिलाओं को ही यह अवकाश मिलता था। केंद्र सरकार ने अब पुरुष कर्मचारियों को 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव देने का एलान किया है। इसके तहत सिंगल फादर यानि की विधुर कर्मचारियों को जिनके बच्चे 18 साल से छोटे हैं उन कर्मचारियों को यह सुविधा मुहैया करवाएगी सरकार ने इसे लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके अलावा अर्जित अवकाश में भी कर्मचारियों के हित में संशोधन किया गया है। इसके तहत हर जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन पांच दिन का अग्रिम अवकाश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष उनके अवकाश खाते में डाला जाएगा।

क्या है

1. सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एकल पिता के रूप में बच्चों की देखभाल की जवाबदेही निभा रहे कर्मचारियों को राहत देने का प्रयास किया था।
2. आयोग ने एकल पिता को भी बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश (सीएलसी) देने की सिफारिश की थी जिसे मंजूरी मिल गई है। अभी तक यह अवकाश केवल महिला कर्मचारियों को ही दिया जाता है। सीसीएल की पहली बार सिफारिश 6वे वेतन आयोग ने की थी।
3. नाबालिग बच्चे की देखभाल के लिए कर्मचारियों को अवकाश देने की व्यवस्था दुनिया के कई देशों में लागू है। औद्योगिक रूप से संपन्न अमेरिका संभवतः दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था नहीं है। हां परिवार एवं चिकित्सा कानून 1993 के तहत कंपनी कर्मचारी 12 सप्ताह का अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं।

4. इसी देश के कैलिफोर्निया में 2002 में लागू परिवार अवकाश कानून के तहत नवजात, गोद लिए गए बच्चे की देखभाल 6 सप्ताह का अवकाश लिया जा सकता है। इस अवधि में कर्मचारी को वेतन के रूप में साप्ताहिक आय का 55 फीसदी ही मिलेगा।
5. ऑस्ट्रेलिया में 2011 से लागू कानून के तहत 18 सप्ताह का अवकाश ले सकते हैं, लेकिन भुगतान राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के अनुसार किया जाएगा। जापान और इटली में पिता को कोई अवकाश नहीं मिलता है। नीदरलैंड में मात्र दो दिनों का अवकाश पिता ले सकता है।

मृणाल सेन का निधन

बांग्ला फिल्मों के मशहूर फिल्ममेकर मृणाल सेन का निधन हो गया है। वो 95 साल के थे। साल 2005 में भारत सरकार ने उनको श्रद्धा विभूषण और 2005 में 'दादा साहब फाल्के' अवॉर्ड से सम्मानित किया था। 1955 में मृणाल सेन ने अपनी पहली फीचर फिल्म 'रातभोर' बनाई। उनकी अगली फिल्म 'नील आकाशे र नीचे' ने उनको स्थानीय पहचान दी और उनकी तीसरी फिल्म 'बाइशे श्रावण' ने उनको इंटरनेशनल पहचान दिलाई। उनकी अधिकतर फिल्में बांग्ला भाषा में हैं। मृणाल ने फेमस बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को फिल्मों में लॉन्च किया था। जिसके लिए मिथुन को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था।

मृणाल सेन के बारे में

1. मृणाल सेन का जन्म 14 मई 1923 में फरीदपुर नामक शहर में (जो अब बांग्ला देश में है) में हुआ था। हाईस्कूल की परीक्षा पास करने बाद उन्होंने शहर छोड़ दिया और कोलकाता में पढ़ने के लिये आ गये।
2. वह भौतिक शास्त्र के विद्यार्थी थे और उन्होंने अपनी शिक्षा स्कॉटिश चर्च कॉलेज एवं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पूरी की। अपने विद्यार्थी जीवन में ही वे वह कम्युनिस्ट पार्टी के सांस्कृतिक विभाग से जुड़ गये। यद्यपि वे कभी इस पार्टी के सदस्य नहीं रहे पर इच्छा से जुड़े होने के कारण वे अनेक समान विचारों वाले सांस्कृतिक रुचि के लोगों के परिचय में आ गए।
3. 1998 से 2003 तक वे कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किए गए।
4. पांच और फिल्में बनाने के बाद मृणाल सेन ने भारत सरकार की छोटी सी सहायता राशि से श्रुवन शोमश बनाई, जिसने उनको बड़े फिल्मकारों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया और उनको राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की।
5. 'श्रुवन शोम' ने भारतीय फिल्म जगत में क्रांति ला दी और कम बजट की यथार्थपरक फिल्मों का श्रुवन सिनेमाश या 'समांतर सिनेमा' नाम से एक नया युग शुरू हुआ। मृणाल दा ने 80 साल की उम्र में 2002 में अपनी आखिरी फिल्म आमार श्रुवन बनाई थी।
6. साल 2000 में उन्हें रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन ने ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा फ्रांस सरकार ने उनको फ्कमान्डर ऑफ द ऑर्ट एंडलेटर्स की दी और रशियन सरकार ने ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप सम्मान दिया।
7. साहित्य के लिए नोबेल प्राप्त लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्खेज उनके खास मित्रों में से हैं। मृणाल दा ने कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म प्रतिस्पर्धाओं में जज/ ज्युरी की भूमिका निभाई है।

ICC की सर्वश्रेष्ठ महिला टी-20 टीम

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समिति (ICC) ने साल की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे और टी-20 टीमों की घोषणा की है और ऐसे में भारतीय खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को टी-20 टीम का कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा, न्यूजीलैंड की खिलाड़ी सूजी बेट्स को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे टीम की कप्तान चुना गया है। हरमनप्रीत को इस साल आयोजित हुए टी-20 विश्व कप टूर्नामेंट में भारतीय टीम को एक कप्तान के तौर पर सेमीफाइनल तक पहुंचाने के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। इस टूर्नामेंट में हरमनप्रीत ने 160.5 की स्ट्राइक रेट से 183 रन बनाए थे।

क्या है

1. आईसीसी की महिला टी-20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में हरमनप्रीत तीसरे स्थान पर हैं।
2. न्यूजीलैंड की बेट्स को आईसीसी महिला चैंपियनशिप के तीन राउंड के बाद अपनी टीम को दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दिए गए योगदान के तहत साल की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम की कप्तान के रूप में चुना गया है।
3. इस साल खेले गए सात वनडे मैचों में बेट्स ने 438 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल हैं। आईसीसी की महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में बेट्स सातवें स्थान पर है।
4. आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला टी-20 टीम में आस्ट्रेलिया की चार खिलाड़ी-एलीसा हेली, एलीसे पैरी, एश्ले गार्डनर, मेगन स्कट, भारतीय टीम की तीन खिलाड़ी-स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, पूनम यादव, न्यूजीलैंड की दो खिलाड़ी-सूजी बेट्स, लेह कास्परेक, बांग्लादेश की एक खिलाड़ी रुमाना अहमद और इंग्लैंड की एक खिलाड़ी-नटाली स्कीवर शामिल हैं।
5. इसके अलावा, आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे टीम में इंग्लैंड की -टैमी बेमोट और सोफी एक्सेलेस्टोन, भारत की मंधाना और पूनम, न्यूजीलैंड की बेट्स और सोफी डिवेन, दक्षिण अफ्रीका की डेन वॉन निकेक और मारिजाने कॉप, आस्ट्रेलिया की एक एलीसा हेली, पाकिस्तान की एक सना मीर और वेस्टइंडीज की एक खिलाड़ी डिएंड्रा डोटिन शामिल हैं।

स्मृति मंधाना बनी ICC 2018 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना को आईसीसी (ICC) ने 2018 की महिला क्रिकेटर और 2018 की महिला वनडे खिलाड़ी चुना है। बाएं हाथ की प्रतिभाशाली बल्लेबाज मंधाना को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बनने पर राचेल् हेयो फिल्ट पुरस्कार जीता। उन्होंने 2018 में 12 वनडे में 669 रन और 25 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 622 रन बनाए। वनडे में स्मृति मंधाना ने 66.90 की औसत से रन बनाए जबकि टी20 में उनका स्ट्राइक रेट 130.67 रहा। हाल ही में मंधाना ने वेस्टइंडीज में महिला विश्व टी20 में भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने इस टूर्नामेंट में पांच मैचों में 125.35 की औसत से 178 रन बनाए थे।

क्या है

1. स्मृति मंधाना तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के बाद आईसीसी पुरस्कार पाने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। झूलन को 2007 में आईसीसी वर्ष का खिलाड़ी चुना गया था।
2. स्मृति मंधाना ने इस उपलब्धि पर कहा, शर्जब इस तरह से पुरस्कारों से आपके प्रदर्शन को मान दिया जाता है तो इससे कड़ी मेहनत करने और टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है।
3. आईसीसी के मुख्य कार्यकारी डेविड रिचर्डसन ने भी मंधाना को बधाई दी। उन्होंने कहा, स्मृति ने महिला क्रिकेट के लिए इस यादगार साल में अपने शानदार प्रदर्शन से प्रशंसकों को रोमांचित किया।
4. आस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर एलिसा हीली को आईसीसी की वर्ष की टी20 अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर चुना गया। उन्होंने महिला विश्व टी20 में छह मैचों में 225 रन बनाए थे।
5. इंग्लैंड की 19 वर्षीय स्पिनर सोफी एक्सेलेस्टोन को वर्ष की उदीयमान खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने नौ वनडे में 18 विकेट और 14 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 17 विकेट लिए।

सुधीर भार्गव बने नए सूचना आयुक्त

केंद्र सरकार ने सुधीर भार्गव को नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। इसके साथ ही चार नए आयुक्तों को भी सूचना आयोग में नियुक्ति मिली है। केंद्रीय सूचना आयोग में फिलहाल तीन सूचना आयुक्त हैं और नई नियुक्ति के बाद इनकी संख्या सात हो जाएगी। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त समेत 11 पद स्वीकृत हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने

पूर्व आइएफएस अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा, पूर्व आइआरएस अधिकारी वनजा एन सरना, पूर्व आइएएस अधिकारी नीरज कुमार गुप्ता और पूर्व विधि मामलों के सचिव सुरेश चंद्र को केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है।

सिन्हा ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त रह चुके हैं। आयोग की एकमात्र महिला सदस्य सरना केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग की प्रमुख थीं। नीरज गुप्ता निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में सचिव थे।

क्या है

1. **सूचना अधिकार अधिनियम, 2005** के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन दिनांक 12.10.2005 को किया गया है। आयोग की अधिकारिता सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारियों पर है।
2. आयोग की कुछ शक्तियां और कार्य हैं, जो सूचना अधिकार अधिनियम की धाराओं, 18, 19, 20 और 25 में उल्लिखित हैं।
3. वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के साथ-साथ ये मुख्य रूप से सूचना आवेदन दाखिल करने में असमर्थता आदि **तथ्यों पर आधारित शिकायत को प्राप्त करना और उनकी जांच करना; सूचना प्रदान करने के लिए द्वितीय अपील का न्यायनिर्णयन; अभिलेखों के रख-रखाव के लिए निर्देश**, स्वप्रेरणा से प्रकटन, आर.टी.आई. दाखिल करने की असमर्थता पर शिकायतों की प्राप्ति और जांच आदि; अर्धदण्ड का अधिरोपण और अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन आदि से सम्बंधित हैं। आयोग के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं।

फिर अशांत क्षेत्र घोषित हुआ नगालैंड

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समूचे नगालैंड को फिर से अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) ऐक्ट 1958 (AFSPA) की धारा 3 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। आदेश के मुताबिक, 30 दिसंबर 2018 से छह महीने के लिए नगालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। प्यामार की सीमा से सटा हुआ नगालैंड आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियों के चलते पहले भी कई बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। गौरतलब है कि AFSPA सुरक्षाबलों को किसी भी जगह अभियान संचालित करने और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।

क्या है

1. गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार का विचार है कि पूरा नगालैंड राज्य क्षेत्र **ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है** कि प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल जरूरी है।
2. अधिसूचना में कहा गया है, 'ऐसे में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून, 1958 (1958 के नंबर 28) की धारा तीन के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार इसके द्वारा घोषणा करती है कि पूरा नगालैंड राज्य उस कानून के उद्देश्य से 30 दिसंबर 2018 से छह महीने की अवधि के लिए एक अशांत क्षेत्र रहेगा।
3. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि नगालैंड को 'अशांत क्षेत्र' घोषित रखने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हत्या, लूट और उगाही जारी है।
4. इसके चलते वहां तैनात सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए यह कदम जरूरी हो गया। पूर्वोत्तर के साथ ही जम्मू कश्मीर के भी विभिन्न संगठनों की ओर से विवादास्पद सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून रद्द करने की मांग की जाती रही है। संगठनों का कहना है कि यह सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देता है।

नगालैंड में दशकों तक लागू रहा है AFSPA

1. नगालैंड में AFSPA कई दशकों से लागू है। इस कानून को नगा उग्रवादी समूह एनएससीएन (आईएम) महासचिव टी मुइवा और सरकार के वार्ताकार आर एन रवि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 3 अगस्त 2015 को एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी नहीं हटाया गया।
2. रूपरेखा समझौता 18 वर्षों तक 80 दौर की वार्ताओं के बाद हुआ था, इसमें पहली सफलता 1997 में तब मिली थी जब नगालैंड में दशकों के उग्रवाद के बाद संघर्ष विराम समझौता हुआ था।
3. गृह मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक, 2014 में जहां हिंसा की 77 घटनाएं प्रदेश में हुईं, वहीं 2017 में यह घटकर 19 पर आ गई। वहीं चरमपंथियों की बात करें तो 2014 में जहां 171 चरमपंथी मारे गए, वहीं 2017 में यह आंकड़ा 171 पर पहुंच गया।

फ्लैशबैक

1. सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 11 सितंबर 1958 में पारित किया गया था।
2. अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड के 'अशांत इलाकों' में तैनात सैन्य बलों को शुरू में इस कानून के तहत विशेष अधिकार हासिल थे।
3. कश्मीर घाटी में आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी होने के बाद जुलाई 1990 में यह कानून सशस्त्र बल (जम्मू एवं कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 के रूप में जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया। हालांकि राज्य के लदाख इलाके को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2018 को मेघालय से अफस्पा हटा लिया।
4. इस कानून के अंतर्गत सशस्त्र बलों को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने व बल प्रयोग करने आदि में सामान्य प्रक्रिया के मुकाबले अधिक स्वतंत्रता है तथा नागरिक संस्थाओं के प्रति जवाबदेही भी कम है।